Alternatives India VIKALP sangam

CFR-la Community Forest Rights - learning & advocacy

सामुदायिक वन अधिकार और महामारी:

ग्राम सभा ने दिखाई राह

'साधारण' लोगों के असाधारण कार्य : महामारी एवं लॉकडाउन से परे श्रृंखला का खंड - 2

और

कोविड 19 एवं वन अधिकार का पाँचवाँ बुलेटिन'

अक्टूबर 2020

अनुक्रमणिका

परिचय 3

भूमिका 4

01. गुजरात- नर्मदा 5
हाशिये के समुदायों की मदद

02. महाराष्ट्र- गोंदिया 8
लघु वनोपज से आजीविका की गारंटी

03. छत्तीसगढ़- राजनांदगांव 10
ग्राम सभा का शासन

04. महाराष्ट्र- धुले 13
स्थानीय स्वायत्तता और खाद्य सुरक्षा

05. गुजरात- कच्छ 15
पशु और पशुपालकों के लिए आयोजन

06. महाराष्ट्र- नंदुरबार 18
पलायन में कमी

07. पश्चिम बंगाल- आलिपुरद्वार 20
वनों की सामुदायिक रक्षा

08. मध्यप्रदेश - डिंडौरी 22
आदिवासी महिलाओं द्वारा कोविड में राहत व्यवस्था

09. कर्नाटक- चामराजनगर 25
आदिवासी सहकारिता व संगठन

10. ओडिशा- नयागढ़ 27
वन संरक्षण व खाद्य सुरक्षा

मुख्य सीख 30

निष्कर्ष 32

संक्षिप्त नाम व शब्दावली 34

आभार 37

परिचय

इन दिनों भारत कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। 30 सितंबर 2020 तक 60 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। वैश्विक महामारी और देशव्यापी तालाबंदी से गरीब और वंचित समुदायों की बड़ी आबादी भीषण रूप से प्रभावित हुई है। इसके कारण इन लोगों ने अपनी आजीविका व रोजगार को खोया, खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा और सामाजिक- आर्थिक संकट झेला। प्रवासी मजदूरों को भारी दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा, और यह वैश्विक स्तर की खबर बनी। भारत सरकार ने संसद के मानसून सत्र में एक सवाल के जवाब में कहा कि उसके पास प्रवासी मजदूरों की मौत व रोजगार का कोई आंकड़ा नहीं है। इस तरह के आंकड़ें नहीं रखे गए हैं, इसलिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इन प्रवासी मजदूरों में संभवतः आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी भी शामिल हैं, इन समुदायों के लोग अक्सर शहरों में बेहतर रोजगार के मौकों की तलाश में पलायन करते हैं।

पिछले कुछ समय से देशज् समुदायों को शक्तिहीन बनाया जा रहा है। पारंपरिक पारिस्थितिकी तंत्र तक उनकी पहुंच, उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण अधिकार में कमी आई है। टिकाऊ और प्रकृति आधारित आजीविका के संरक्षण व विकास में मदद कमी हुई है। वन समुदायों के पारंपरिक पारिस्थितिकी तंत्र का उद्योगों व खनन उद्देश्य के लिए परिवर्तन होने से वे इनसे वंचित हो गए हैं। और उनसे कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। आर्थिक, सामाजिक, और पारिस्थितिकी संकट के यह कुछेक कारण हैं। इसमें भारत में आदिवासियों व अन्य परंपरागत वन निवासियों की बाहरी पलायन की पीड़ा भी शामिल है।

प्रारंभिक आंकलन रिपोर्ट के अनुसार जो वन समुदाय पहले से वन,संरक्षण और आर्थिक नीतियों के कारण असुरक्षित, उत्पीड़न व अन्याय का सामना करना कर रहे थे, उनमें महामारी से कई गुना समस्याएं बढ़ गई हैं। इस अवधि में सुरक्षा की कमी ने वंचित व असुरक्षित समुदाय की स्थिति को उजागर कर दिया है। इसके अलावा, आदिवासी इलाकों में पहले से मौजूद स्थिति जैसे गंभीर रूप से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, पेशेवर स्वास्थ्यकर्मियों की कमी,सूचना और जागरूकता की कमी, पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था का कमजोर हो जाना, इन सब कारणों ने आदिवासी इलाकों में महामारी का खतरा और बढ़ा दिया है। लगभग 10 करोड़ वनों में रहनेवाले लोग कई तरह से जंगल पर निर्भर हैं- भोजन, दवाई और आमदनी के लिए उनकी निर्भरता जंगल पर है। वनोपज संग्रहण का मौसम मुख्यतः अप्रैल से जून तक होता है, संयोग से उन्हीं दिनों तालाबंदी थी।

परिचय

इन समस्याओं के बावजूद, ऐसे सैकड़ों उदाहरण पहले से मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि आदिवासी व अन्य परंपरागत वन निवासियों में ऐसे संकट से निपटने की असाधारण संभलने व फिर से खड़े होने की क्षमता है, विशेषकर, तब जब वे कानूनी रूप से सशक्त हैं। इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) के अंतर्गत भूमि और वन अधिकार को मान्यता मिली है। इन दोनों कानूनों में आदिवासी व अन्य परंपरागत वन निवासी समुदायों को अधिकार दिए गए हैं, भूमि व संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता दी गई है। इन दो कानूनों से संकट व प्रतिबंधों को नियंत्रित करने में मदद मिली है।

यह दस्तावेज ऐसे कुछ उदाहरणों का है, जिसमें यह समझने में मदद मिलेगी कि समुदायों ने इस व्यापक संकट के समय किस तरह उसका मुकाबला किया। अध्ययन के मौजूदा उदाहरणों से समुदाय सशक्तिकरण को समझने में मदद मिलेगी। **इस अध्ययन के उदाहरणों से यह समझने में मदद मिलेगी कि कोविड-19 जैसे महामारी के समय समुदाय को फिर से खड़ा किया जा सकता है। जैसे समुदाय का सशक्तिकरण, विशेषकर, इस कार्यकाल में सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्राकृतिक संसाधन शासन और प्रबंधन शक्ति विकसित करना,पारिस्थितिकी तंत्र को फिर बहाल करना, टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाना और समुदायों में संभलने की क्षमता के साथ प्राकृतिक व मानव प्रेरित करना। इस अध्ययन में विस्तार से प्रकाश डाला गया है।**

1 नर्मदा **गुजरात**

2 गोंदिया **महाराष्ट्र**

3 राजनांदगांव **छत्तीसगढ़**

4 धुले **महाराष्ट्र**

5 कच्छ **गुजरात**

परिचय

6 नंदुरबार **महाराष्ट्र**

7 आलिपुरद्वार **पश्चिम बंगाल**

8 डिंडौरी **मध्य प्रदेश**

9 चामराजनगर **कर्नाटक**

10 नयागढ़ **ओडिशा**

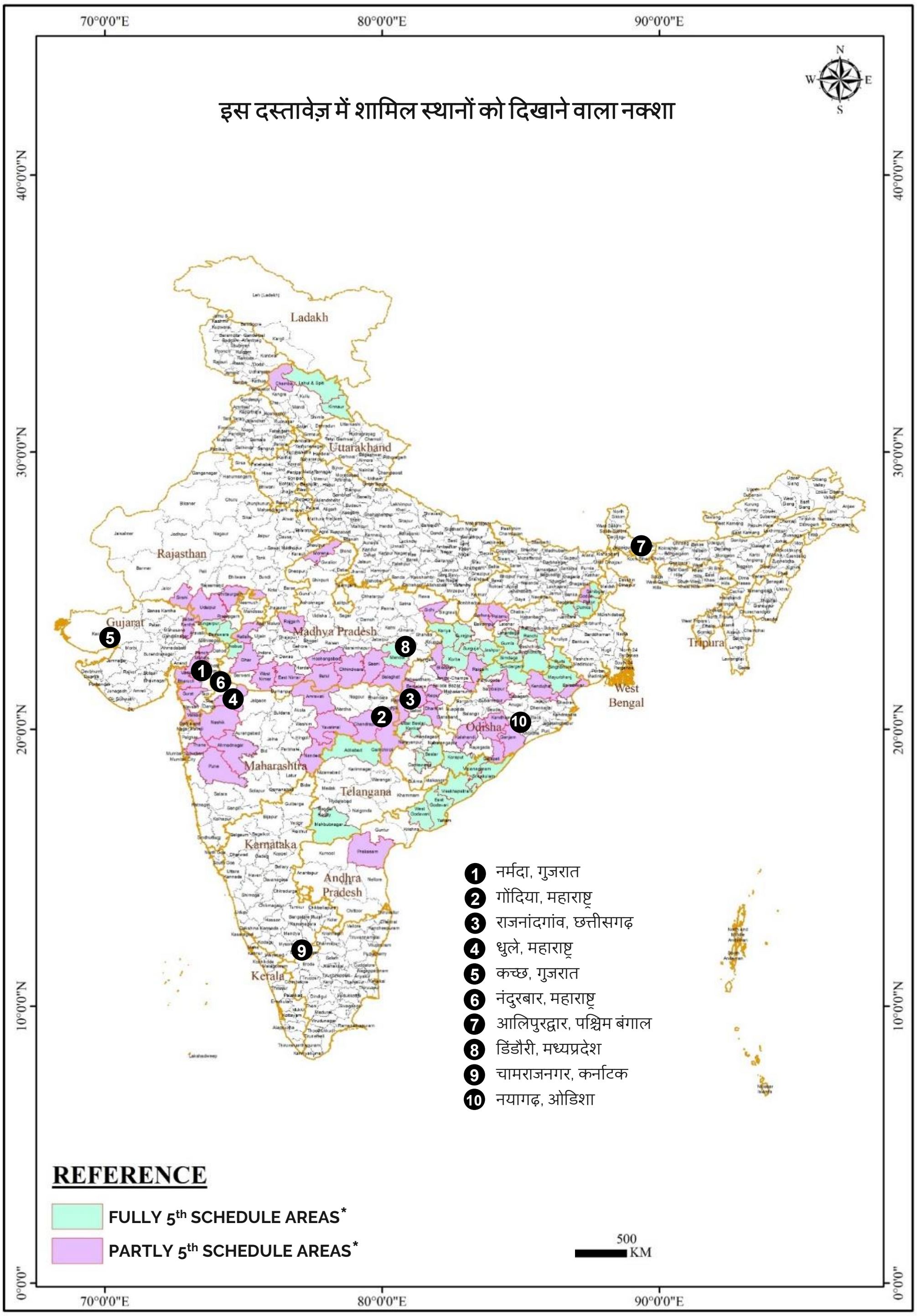

*भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्र भारत के नौ राज्यों में "आदिवासी जनसंख्या के प्रसार" और "आर्थिक पिछड़ेपन" वाले क्षेत्र हैं। PESA, 1996 को ग्राम सभाओं को स्वशासन की शक्ति देने वाले पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू किया गया है।

भूमिका

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006(वन अधिकार कानून (एफआरए): भारत के आदिवासियों के जमीन संसाधन अधिकार के लिए दशकों लंबे संघर्ष के बाद यह कानून बना है। वन अधिकार कानून में यह माना गया है कि अब तक वन निवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और यह कानून इसके खिलाफ है, अब आदिवासी व अन्य परंपरागत वन निवासी (ओ.टी.एफ.टी.) को उनके अधिकार दिए जाएंगे, जो अलिखित हैं, उन्हें मान्यता दी जाएगी। यह अधिनियम दो तरह के अधिकार देता है। एक, वनभूमि पर खेती की जमीन का व्यक्तिगत अधिकार और दूसरा, समुदायों को सामूहिक सम्पत्ति संसाधन अधिकार और पर्यावास अधिकार प्रदान करता है। वन अधिकार कानून (एफ.आर.ए.) मानता है कि वन समुदायों का होना वन पारिस्थितिकी के अस्तित्व लिए अनिवार्य है। और उनको जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अधिकार व जिम्मेदारी देता है। इसके परिणास्वरूप, संरक्षण व्यवस्था हो रही है, वहीं उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सी.एफ.आर): सामुदायिक वन संसाधन अधिकार से ग्राम की परंपरागत या रूढिग्रस्त सीमाओं के भीतर रूढिगत सामान्य वन भूमि या चरागाही समुदायों की दशा में भू परिदृश्य का मौसमी उपयोग अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित ऐसे क्षेत्रों की भूमि है- जैसे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जिन पर समुदायों (आदिवासी या अन्य परंपरागत वन निवासी) की परंपरागत पहुंच थी। इस अधिनियम के खंड 3 के (1) के अनुसार सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्ञीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे टिकाऊ या सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा व संरक्षण कर रहे हैं। खंड (5) सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, ग्राम सभा को यह शक्ति और जिम्मेदारी देता है कि वह जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीवों, और जलस्रोतों की रक्षा करे, संरक्षित और प्रबंधन करे। यह सुनिश्चित करना भी कि उनके सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संसाधनों को संरक्षित करे। साथ ही इन सामुदायिक वन संसाधनों नुकसान पहुंचानेवाली किसी भी गतिविधि को रोकने की शक्ति व जिम्मेदारी भी देता है।

ग्रामसभा: ग्राम सभा या गांव सभा, स्थानीय स्वशासन की प्राथमिक इकाई है। सामुदायिक वन अधिकार (एफ.आर.ए) के अनुसार ग्राम सभा कम से कम एक तिहाई महिलाएं होना अनिवार्य है। ग्राम सभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह दावों की प्रक्रिया शुरू करे, दावों को स्वीकार करे, और उनके समेकन व सत्यापन करेगी, उस आशय का संकल्प पारित करेगी। इसके अलावा, ग्राम सभा को यह शक्ति होगी कि वह छोटे जलागम क्षेत्र (खंड 4 (1), लघु वनोपज (खंड 4 एम(2) संसाधन, का नियंत्रण, योजना व प्रबंधन करे। और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) (खंड 4 डी) कहता है कि ग्राम सभा सामुदायिक संसाधनों की रक्षा करने में सक्षम है। ग्राम सभा हिसाब रखती है, चाहे वह राशि कहीं से आई है, स्वैच्छिक अंशदान से आई हो, या लघु वनोपज, लघु खनिजों की बिक्री से, या किसी योजना के अंतर्गत हस्तांतरित हुई हो। ग्रामसभा के अंतर्गत इस राशि को इस्तेमाल करने का अधिकार है।

सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति (सी.एफ.आर.एम.सी.): सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति को ग्रामसभा गठित करेगी। नियम 4 1 (ड) के अनुसार यह समिति वन्यजीव, वन और जैव विविधता की रक्षा करेगी। खंड 5 नियम 4 1) (च) के अनुसार ग्राम सभा, समितियों को निगरानी और नियंत्रण का अधिकार देगी जिसके तहत् उनका कर्तव्य है कि वे सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण व प्रबंधन की तैयारी योजना बना सकेंगी।

1 नर्मदा गुजरात
2 गोंदिया महाराष्ट्र
3 राजनांदगांव छत्तीसगढ़
4 धुले महाराष्ट्र
5 कच्छ गुजरात

हाशिये के समुदायों की मदद

6 नंदुरबार महाराष्ट्र
7 आलिपुरद्वार पश्चिम बंगाल
8 डिंडौरी मध्य प्रदेश
9 चामराजनगर कर्नाटक
10 नयागढ़ ओडिशा

विषय

ग्राम सभा शासन, हाशिये के समुदायों की मदद और वनों की रक्षा

(बाएं) आदिवासी समुदाय अपनी सीएफआर प्रबंधन योजना बनाते हुए; (दाहिने) सामुदायिक वन संसाधनों का मानचित्रण

यह कहानी नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा विकासखंड के 24 गांवों के समूह की है, जिनमें से ज्यादातर पूर्व में स्थित हैं। इन गांवों में विशेष रूप से आदिवासी हैं, इनमें से अधिकांश वासावा जनजाति के हैं, दो गांवों में तडवी परिवार भी हैं। यह गांव शूलपाणेश्वर अभयारण्य के भाग हैं, जो तीन चरणों वर्ष 1982, 1987 और 1989 में घोषित की गई, यह 61,542 हेक्टेयर भूमि में फैली है। इसके अंतर्गत 104 गांव आते हैं, जिनमें 25 गांव गैर आबादीवाले वीरान हैं।

जबकि यहां के समुदायों को दशकों से वन विभाग और एक कागज फैक्ट्री के द्वारा की जा रही हिंसा का सामना करना पड़ा है। जब वन अधिकार अधिनियम, 2006 कानून बना तो बदलाव की संभावना दिखाई दी। वर्ष 2013-14 में लम्बे संघर्ष के बाद इस गांव में ग्राम सभा को अधिकार पत्र मिला। गांव में सभी सामुदायिक वन अधिकार सभी दावों के लिए 19220 हेक्टयर वन भूमि है। इससे अलग गुजरात के कई जिलों में इस अधिकार पत्र के लिए वन अधिकार की सभी स्थितियां व नियमों का अवलोकन किया गया। इसके बाद उन्हें सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) का अधिकार पत्र हासिल हुआ। सामुदायिक वन अधिकार का अधिकार पत्र मिलने के बाद ग्राम सभा ने फिर से नई सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति का निर्वाचन किया। इसमें कम से कम एक तिहाई महिलाएँ हैं, और पुराना संकल्प पारित किया।

मार्च के मध्य और जून मध्य माह के दौरान, अधिकांश परिवार ने करीब 50 हजार रूपए खो दिए। संयोगवश, इन्हीं दिनों जब अधिकांश समुदाय के लोग कृषि कामों व अन्य लघु उद्योगों में मजदूरी करने जाते थे,और वे वहां करीब 20 से 40 हजार रूपए तक कमाई करते थे, इस साल नहीं जा पाए। इसके अलावा, मनरेगा में मजदूरी उपलब्ध नहीं होने के कारण भी उन्हें करीब 5 हजार रूपए का नुकसान हुआ। उन्हें रबी फसल का भी उचित दाम नहीं मिला। विशेषकर, मक्का

हाशिये के समुदायों की मदद

और अरहर और अन्य सब्जियों को उन्हें सामान्य कीमतों से आधे दाम में बेचना पड़ा, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा।

लघु वनोपज की कटाई और उसे एकत्र करने के लिए मार्च से मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। फरवरी से मई माह के दौरान दो महत्वपूर्ण लघु वनोपज बांस और तेंदूपत्ता की तुड़ाई, कटाई और उसे संग्रहित करने का समय होता है। कई गांवों की ग्राम सभाओं के पास पिछले साल और वर्तमान साल का बांस का अंबार होता है, इसके ढेर या तो जंगल में या सड़क किनारे लगे होते हैं। कागज फैक्ट्री यहां से ले जाती हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस और अचानक तालाबंदी हो गई। बहुत सी ग्राम सभाओं और परिवारों को इससे बड़े भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। न तो वन विकास निगम और न ही ग्राम सभा, तेंदूपत्ता नीलामी और बिक्री की प्रक्रिया कर पाई। परिणामस्वरूप, बहुत से परिवार, विशेषकर महिलाओं ने तेंदूपत्ता से होनेवाली कमाई को खो दिया और उन्हें नुकसान हुआ, जो आमतौर पर इस मौसम में प्रत्येक परिवार की 5 से 10 हजार रूपए होती है। इसके अलावा, कुछ परिवार, विशेषकर महिलाएं और बच्चों को वनोपज की बिक्री से होनेवाली कमाई का नुकसान हुआ, जो वे लघु वनोपज जैसे कंजी, गालवेड़ा और बहेड़ा जैसे बीज बेचकर कमाते थे, पर नहीं कमा पाए।

तालाबंदी के परिणामस्वरूप जब बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ तब पहली बार ग्राम सभा एक विकेन्द्रीकृत भूमिका में आई। प्रत्येक गांव में कुछ परिवार, विशेषकर गोवली (चरवाहे) और विधवा उनके बच्चों के साथ, जिन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था, को दो जून की रोटी नसीब नहीं हो रही थी। इन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है, वे या तो मजदूरी करते हैं या लघु वनोपज एकत्र कर उसे बेचकर कुछ पैसा कमाते हैं, वे पूरी तरह इस पर ही निर्भर हैं। सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति (सी.एफ.आर.एम.सी.) के सदस्य और गांव के अन्य सदस्यों ने ऐसे परिवारों की मदद की। ग्राम सभा के पास कोई ज्यादा आमदनी नहीं है, इसलिए सदस्यों ने तय किया वे स्वयं कुछ अनाज इन परिवारों को देंगे और आर्च वाहिनी से सिफारिश करेंगे कि वह कुछ मदद करे। आर्च वाहिनी ने 3 महीने का राशन, जिसमें तेल और मसाले शामिल हैं, ऐसे जरूरतमंद 116 परिवारों को दिया।

हालांकि तालाबंदी के दौरान ग्राम सभा ने कोई बड़ी बैठक आयोजित नहीं की, पर सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति के कुछ सदस्यों ने पूर्व निर्णय के आधार पर काम की पहल की। निजी परिवारों में व वन अधिकार कानून(एफ.आर.ए.) की भूमि पर समतलीकरण का काम किया गया। समतलीकरण का काम कुछ निर्धारित घंटे किया, जिसमें ट्रेक्टर की मदद भी ली, इस काम के लिए ग्राम सभा ने राशि का भुगतान किया। अधिकांश ग्रामसभा या सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति ने सामुदायिक वन अधिकार (सी.एफ.आर.) की रक्षा की। उन्होंने यह महसूस किया कि इस गंभीर समय में वनों को खतरा हो सकता है। इसके लिए उन्होंने 3-4 लोगों के समूह में वनों की रखवाली की और उनकी रक्षा की। तालाबंदी के दौरान वनों की रक्षा की, उनके बचाव के लिए पहल की।

1 नर्मदा गुजरात
2 गोंदिया महाराष्ट्र
3 राजनांदगांव छत्तीसगढ़
4 धुले महाराष्ट्र
5 कच्छ गुजरात

हाशिये के समुदायों की मदद

6 नंदुरबार महाराष्ट्र
7 आलिपुरद्वार पश्चिम बंगाल
8 डिंडौरी मध्य प्रदेश
9 चामराजनगर कर्नाटक
10 नयागढ़ ओडिशा

आर्च वाहिनी की सदस्य और इस इलाके में 1980 से कार्यरत तृप्ति मेहता कहती हैं कि- *"अभी तक इस इलाके में समुदाय के लोग कठिनाई से गुजर रहे हैं, इस संकट के कारण? यहां किसी ने यह नहीं सोचा था कि समुदायों को ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, यह कोविड 19, 2020 की महामारी पूरी तरह कल्पना और नियंत्रण से परे है। तालाबंदी में लोगों की स्थिति बहुत खराब थी, यही ही नहीं, कुछ परिवारों को छोड़कर, लोगों के पास उनके घरों में खाना पकाने राशन नहीं था, क्योंकि उनकी कई स्रोतों से होनेवाली वार्षिक आमदनी आधी हो गई थी। यह पहली बार था जब ग्रामसभा ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। और वन संसाधनों की रक्षा व प्रबंधन के लिए उस पर भरोसा किया गया। अब मुख्य चुनौती यही है कि इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक व पारदर्शी तरीके से आगे ले जाएं और वनों की रक्षा व प्रबंधन का काम जारी रखें।"*

समुदाय अपने सीएफआर क्षेत्रों में वाटरशेड का प्रबंधन करते हुए

लघु वनोपज से आजीविका की गारंटी

विषय

लघु वनोपज आजीविका, ग्रामसभा महासंघ की गारंटी

(बाएं) वन निवासी तेंदू पत्ता के बंडल तैयार करते हुए; (दाहिने) महिलाएं मास्क का उपयोग करके और सुरक्षित दूरी रखते हुए एमएफपी एकत्र करती हुए

गोंदिया जिले में 75 फीसदी आबादी मुख्यतः गोंड व हल्बा आदिवादियों की है। यहां करीब 250 गांवों को सामुदायिक वन अधिकार (सी.एफ.आर.) को कानूनी मान्यता मिली है। और देवरी विकासखंड के 29 गांवों का एक संघ बना है जो लघु वनोपज को एकत्र करने व बिक्री करने के काम को आगे बढ़ाता है। संघ अधिनियम निर्वाचित निकाय है जो ग्राम सभा को मदद व सहयोग करता है। इसे दो प्रतिनिधि (अध्यक्ष और सचिव) शासित करते हैं, ये 29 गांवों से चुने जाते हैं। हर साल, संघ यह सुनिश्चित करता है कि हर मौसम में आदिवासी व वन निवासियों को जो लघु वनोपज संग्रहण करते हैं, 11 दिन काम मिले और पूरे दिनों का भुगतान हो। जबकि वन विभाग सिर्फ तेंदूपत्ता खरीदता है और सिर्फ 2-3 दिन उनकी मजदूरी का भुगतान करता है। वन विभाग उनके व्यापारियों के माध्यम से एक दिन की मजदूरी 220 रूपए देता है,और मौसमी बोनस 25 रूपए से कम, जबकि संघ प्रतिदिन की मजदूरी 300 रूपए और बोनस 200 रूपए देता है।

इस वर्ष मार्च, 2020 में जब तालाबंदी की घोषणा हुई, देवरी विकासखंड के गांवों के निवासी उलझन में पड़ गए। विशेषकर, तेंदूपत्ता व महुआ संग्रह करने के बारे में, क्योंकि एक साथ इकट्ठा होने व समूह में काम करने में कठिनाई आ रही थी। इस पर रोक थी। तब संघ ने महाराष्ट्र सरकार से महुआ व तेंदूपत्ता संग्रह करने की अनुमति ली।

धमादीटोला सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति (सी.एफ.आर.एम.सी.) के सचिव नारायण सालामे ने तालाबंदी के दौरान लघु वनोपज की बिक्री के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि "*महुआ और तेंदूपत्ता दोनों, समुदाय के सदस्यों की बड़ी आमदनी के स्रोत हैं। हर मौसम में महुआ से प्रति परिवार औसतन आमदनी 15-20 हजार रूपए होती है, जबकि तेंदूपत्ता से आमतौर पर प्रति*

लघु वनोपज से आजीविका की गारंटी

परिवार औसतन आय करीब 10-20 हजार हो जाती है। तेंदूपत्ता तुड़ाई करीब 11 दिन चलती है, जबकि महुआ बीनना करीब एक माह तक चलता है.और प्रत्येक परिवार को 30-40 हजार की कमाई हरेक मौसम में हो जाती है। तालाबंदी के समय महुआ का भाव शुरू में 30 रूपए प्रति किलोग्राम था, जो अप्रैल माह में 60 रूपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया।"

लघु वनोपज से जो आमदनी होती है, उसे लोग उनकी व्यक्तिगत जरूरतों और खेती- किसानों के कामों, कृषि मजदूरी के भुगतान और धान की खेती इत्यादि में लगाते हैं। तालाबंदी के दौरान 29 गांवों के 5069 परिवारों के सभी वयस्क स्री -पुरुषों ने लघु वनोपज संग्रह करने का काम किया और सभी ने एक समान राशि प्राप्त की। इस मौसम में जब व्यापारी वनोपज खरीदने आए, गांव के बाहरी परिसर में संग्रह केन्द्र बने थे, वहां कोरोना से बचाव के लिए हाथ धोने व शारीरिक दूरी का पालन किया गया।

इस साल तालाबंदी के दौरान, 29 गांवों के संघ ने तेंदूपत्ता बिक्री से 2.5 करोड़ कमाए। जबकि सभी तरह के प्रबंध संघ ने खुद किए, और कोविड 19 के बचाव के सभी उपाय किए। इसके अलावा, संघ ने वर्ष 2017 में तेंदूपत्ता की बिक्री से हुए लाभ की राशि को तालाब खुदाई में खर्च किया, जिससे बारिश के पानी का संचयन किया जा सके। इसके लिए मशीन को किराए से लिया। इससे भूजल पुनर्भरण हुआ, और इसलिए गांववासियों ने धान की खेती पर जोर दिया। जब गैर सरकारी संगठन विदर्भ नेचर कंजरवेशन सोसायटी ने तालाबंदी के दौरान समुदायों में राशन देने की पेशकश की तो लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि समुदाय पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुके हैं, उनके पास अनाज वगैरह की कमी नहीं है।

दिन भर के तेंदू पत्ता की फसल के साथ वनवासी महिला

1 नर्मदा गुजरात
2 गोंदिया महाराष्ट्र
3 राजनांदगांव छत्तीसगढ़
4 धुले महाराष्ट्र
5 कच्छ गुजरात

ग्राम सभा का शासन

6 नंदुरबार महाराष्ट्र
7 आलिपुरद्वार पश्चिम बंगाल
8 डिंडौरी मध्य प्रदेश
9 चामराजनगर कर्नाटक
10 नयागढ़ ओडिशा

विषय

सामुदायिक वन शासन, जंगली खान-पान, लघु वनोपज आजीविका, अनुकूलन व कठिन परिस्थितियों का सामना करना

(बाएं) महिलाएं महुआ के फूलों की फसल की सफाई करती हुए; (दाहिने) समुदाय सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए अपने नियमित सीएफआर प्रबंधन कार्य करते हुए

"ग्राम सभा ने सभी परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, और इसका अनुमान लगाया कि कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री की जरूरत है। विशेष तौर पर सबसे ज्यादा वंचित व जरूरतमंद लोगों के लिए कितनी खाद्य सामग्री चाहिए। और उन्होंने लोगों के लिए मुफ्त भोजन का प्रबंध किया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर लौटे थे। उनके लिए क्वारंटीन सुविधा जिले में थी, वहां मजदूरों को भोजन दिया गया।" यह केशव गुरनूले का कहना है, जो सृष्टि संस्था के सदस्य हैं। वे कोविड-19 के दौरान ग्राम सभा के काम व प्रबंधन पर टिप्पणी कर रहे थे।

अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के 9 विकासखंड में से एक है। इस विकासखंड में अधिकांश आदिवासी गोंड, कंवर, हल्बा और बैगा हैं, जिनकी आजीविका कृषि व जंगल पर निर्भर है। वर्ष 2012-13 में पंगरी, खैरी, केसलदाबारी, पडाकी और दुरैटोला आदि गांवों को सामुदायिक वन अधिकार का मान्यता प्रमाण पत्र मिला,जो संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जे.एफ.एम.सी. *वन विभाग और वन समिति को मिलाकर बना है*) के नाम से मिला। इसके अंतर्गत लघु वनोपज, चारा, और निस्तारी का अधिकार प्राप्त हुआ है। निस्तारी अधिकार को प्रिंसली स्टेट व जमींदारी व्यवस्था में मान्यता मिली थी।

ग्रामसभा ने संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जे.एफ.एम.सी) की योजना को अस्वीकार किया और स्वतंत्र रूप से नई सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति (सी.एफ.आर.एम.सी.) बनाई। (सी.एफ.आर.एम.सी., *आदिवासी व वन निवासियों द्वारा बनी है, जो सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन का मार्गदर्शन करेगी*)। यह समिति वनों की रखवाली और सामुदायिक वन अधिकार का संरक्षण करेगी। सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति, सामुदायिक वन अधिकार के क्रियान्वयन के लिए जिले में बहुत महत्वपूर्ण है।

1 नर्मदा गुजरात | 2 गोंदिया महाराष्ट्र | 3 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ | 4 धुले महाराष्ट्र | 5 कच्छ गुजरात

ग्राम सभा का शासन

6 नंदुरबार महाराष्ट्र | 7 आलिपुरद्वार पश्चिम बंगाल | 8 डिंडौरी मध्य प्रदेश | 9 चामराजनगर कर्नाटक | 10 नयागढ़ ओडिशा

कोविड-19 की तालाबंदी के दौरान, समुदाय के द्वारा सामुदायिक वन अधिकार (सी.एफ.आर.) की योजना पर अमल किया, जो पूर्व में ग्राम सभा ने पारित व मंजूर की थी। इसी समय, कोविड-19 में तालाबंदी के दौरान ग्राम सभा शासन की प्रक्रिया शुरू की। सरकार, पुलिस प्रशासन, वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने ग्राम सभा की योजना का आगे बढ़ाया और उसका अनुसरण किया। स्थानीय प्रशासन ने भी जंगल आधारित खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया। और बाजार में भीड़ लगाने से रोका। हम देख सकते हैं कि ग्राम सभा ने वनों की रक्षा व संरक्षण, लघु वनोपज का संग्रहण और बिक्री, खाद्य सुरक्षा और उसका वितरण और आजीविका प्रबंधन की योजना बनाई थी।

जब कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया और देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई, तब ग्राम सभा ने पूरी तरह तालाबंदी घोषित की। इसके बाद समुदायों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। राशन सामग्री, दवाई और सब्जियां मिलने में दिक्कतें आईं। इसलिए ग्राम सभा ने इस कठिनाई का सामना करने के लिए सहानुभूति व मदद की प्रक्रिया शुरू की। ग्रामसभा ने यह तय किया कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें औषधीय पौधे वितरित किए जाएं, जो घरों के आसपास, खेत में और जंगल में सब्जियां उगा सकें। क्योंकि इस दौरान गांवों के लोगों को बाजार जाने और वहां से सामान लाने पर रोक लगाई गई। केवल गांव के दुकानदारों को कुछ जरूरी राशन सामग्री व दवाई लाने के लिए पास जारी किया गया। अगर कोई गांववासी बीमार है तो एम्बुलेंस में उसके साथ दो आदमी गांव से उसे कस्बे ले जाएंगे,जहां उसका इलाज किया जा सके, यह भी ग्राम सभा ने तय किया।

सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन योजना और मनरेगा योजना के भाग हैं- जंगल में तालाब बनाना और निस्तारी तालाब बनाना, और मत्स्य व्यवसाय इत्यादि, जिससे इन तालाबों से रोजगार मिले। इसी समय, देशज् पौधे जैसे जिमीकांदा, कोचईकांदा और केऊकांदा का भी रोपण किया गया।

सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति ने ग्रामीणों को पहचान पत्र व पास जारी किया जिससे दैनंदिन जरूरतें पूरी करने जंगल से कुछ खान-पान की सामग्री ला सकें। रोजाना के इस्तेमाल व उपभोग के लिए कुछ सामग्री ला सकें। इस समिति ने तय किया कि प्रत्येक मोहल्ले से 3 महिलाएं और 3 पुरुष जंगल के अलग-अलग इलाकों में जा सकते हैं और वे उनकी रोजाना की जरूरत के लिए फल, फूल, कांदा (कंद), सब्जियां, जलाऊ लकड़ी और चारा ले आएं। समिति ने लघु वनोपज जैसे महुआ फल, फूल, चार, और तेंदू के संग्रहण की योजना भी बनाई। उन्होंने तय किया कि प्रत्येक परिवार से दो व्यक्ति जंगल में किसी विशेष इलाके में वनोपज संग्रहण के लिए जा सकेंगे और इस दौरान हरेक व्यक्ति मास्क लगाएगा, शारीरिक दूरी रखेगा, जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सके।

ग्राम सभा का शासन

गांव के बाहर लोगों को बाजार जाने पर रोक थी। गांव के अंदर भी आने-जाने पर पाबंदी थी। जंगल जाने के सभी रास्ते बंद थे, और समुदाय के लोग अवैध व्यापार व चोरी रोकने के लिए निगरानी कर रहे थे जिससे कोई बाहरी व्यक्ति जंगल से कंद, फल, अन्य लघु वनोपज न ले जा सके। जंगल में ज्यादा भीड़ से बचाव किया गया और समुदाय के लोगों ने जंगल को सुरक्षित रखने ध्यान रखा और उसकी तस्करी से रक्षा की।

वनोपज संग्रहण और खाद्य वितरण, दोनों ही समुदाय को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण थे। ग्राम सभा ने सार्वजनिक वितरण केन्द्रों से खाद्य वितरण पर रोक लगाई जिससे भीड़ से बचा जा सके। इसके बाद खाद्य को 48 घंटे सूर्य की गरमी में रखा गया और फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से हरेक घर पर खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। खाद्य वितरण के पहले कोविड-19 के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। ग्राम पंचायत ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 से जुड़े नारे व जानकारी का दीवार लेखन किया जाए। और माइक से सूचनाओं को लोगों से साझा किया जाए।

एक आदिवासी महिला ने कोरोनोवायरस और सामाजिक भेद के बारे में जागरूकता के नारों के साथ दीवारों को चित्रित किया

1 नर्मदा गुजरात | 2 गोंदिया महाराष्ट्र | 3 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ | 4 धुले महाराष्ट्र | 5 कच्छ गुजरात

स्थानीय स्वायत्तता और खाद्य सुरक्षा

6 नंदुरबार महाराष्ट्र | 7 आलिपुरद्वार पश्चिम बंगाल | 8 डिंडौरी मध्य प्रदेश | 9 चामराजनगर कर्नाटक | 10 नयागढ़ ओडिशा

विषय

खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता, आदिवासी एफ.पी.ओ. की अगुआई में आजीविका

बारीपदा के ग्रामीण अपने स्वयं के कृषि और जंगलों पर निर्भर हैं

वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के धुले जिले की ग्राम पंचायत मंजरी के बारीपदा गांव में आदिवासियों को सामदायिक वन अधिकार की मान्यता मिली। इसमें व्यक्तिगत वन अधिकार (आई.एफ.आर.) व सामुदायिक वन अधिकार (सी.एफ.आर.) दोनों शामिल हैं। बारीपदा गांव में लगभग 130 कोकणी और भील आदिवासी परिवार रहते हैं। यहां घना जंगल नहीं है। गांववासी पूरे साल भर कृषि करते हैं और अनाज व सब्जियां उगाते हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता और समुदाय सदस्य चेतराम पवार कहते हैं कि *"शहरों के लिए विकास बड़ी इमारतें, चार पहिया वाहन, बड़ी स्क्रीन टीवी है, जबकि ग्रामीण इलाके के हम आदिवासियों के लिए जमीन, जंगल, कृषि, पशु, और खाद्य सुरक्षा विकास है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वशासन है। बारीपदा गांव के लोग इन 5 तत्वों के बीच एक दूसरे से संबंध का सम्मान करते हैं। जन (मनुष्य), जल, जानवर, जंगल, जमीन। इसके अलावा, हमने तीन मुख्य प्रक्रियाएं और इसमें और जोड़ी हैं। सामूहिक जल प्रबंधन, सामूहिक खेती और सामूहिक विपणन की प्रक्रिया।"*

सामहिक खेती के लिए जिले के 45 गांवों के 1016 सूखी (असिंचित) खेतीवाले किसानों ने मिलकर किसानी उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) बनाया, जो वर्ष 2014 से चल रहा है। देशबंधु एग्रो रिसर्च एंड प्रोड्यूसर कंपनी, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी आदिवासी प्रबंधन कंपनी है। इस कंपनी के केन्द्र में मुनाफा कमाने पर जोर नहीं है, बल्कि किसानों को उपज का सही दाम दिलाने की गारंटी देना है। इसके बावजूद, इसे मुनाफा हुआ, उसमें 30 फीसदी किसानों के खातों में जमा किया गया और बाकी कंपनी की इमारत बनाने में निवेश किया गया। (इसके पहले एफपीओ ने जमीन खरीदी जिसमें चावल प्रोसेसिंग मिल खुली है।)

स्थानीय स्वायत्तता और खाद्य सुरक्षा

बारीपदा की ग्राम सभा दीर्घकालीन समूह विकास पर काम कर रही है। लगभग 7-8 पहले, गांववासियों ने एक सर्वे किया और इससे गांव के लिए लघु योजना निकली। इससे यह समझ बनी कि हरेक परिवार की पहुंच व स्वामित्व भूमि, जल, ऊर्जा, पशु, खाद्य, स्कूल तक हो। सर्वे का जोर संकट के समय स्थानीय समाधान निकालने पर था। जिससे गांववासियों को संकट के समय साहूकार के पास न जाना पड़े। इस दीर्घकालीन काम के कारण ही कोरोना वायरस व तालाबंदी के समय समुदाय पर कोई भीषण प्रभाव नहीं पड़ा।

कई सालों से बारीपदा के परिवार पर्याप्त मात्रा में सब्जियां व खाद्य उत्पादन कर रहे हैं, जिसे अतिरिक्त होने पर घरों में भंडारण करते हैं। इसलिए तालाबंदी में भी यहां खाद्य की कोई कमी नहीं हुई। यहां खाद्य में अच्छी विविधता है। खरीफ मौसम में धान, उड़द, चाउली, मूंगफली, सोयाबीन और ज्वार की फसल ली जाती हैं। रबी मौसम में गेहूं, गन्ना, मसूर, प्याज और मक्का बोया जाता है। पारंपरिक जंगली सब्जियों की विविधता के संरक्षण में समुदाय की भागीदारी है। हर साल भाजी महोत्सव (जंगली सब्जी महोत्सव) में इन हरी सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, और यही खेती का पारंपरिक ज्ञान कोविड-19 के समय मददगार रहा। कोविड-19 तालाबंदी के दौरान किसानी उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) ने 50 टन चावल बेचा, सामूहिक रूप से उनकी कंपनी के माध्यम से बिक्री की गई, जिससे लोगों की अच्छी आमदनी हुई।

पशु और पशुपालकों के लिए आयोजन

विषय

जंगल की वापसी, जल प्रबंधन, आजीविका

(बाएं) सीएफआरएमसी ने अपने जल और वन प्रबंधन योजनाओं पर चर्चा करते हुए ; (दाहिने) सीएफआरएमसी ने आक्रामक प्लांट गंडा बाबुल को बाहर निकालने के लिए जेसीबी का उपयोग करते हुए

"हम अपनी भैंसों के साथ 550 सालों से घुमन्तू जीवनशैली जी रहे हैं। भारतीय वन कानून 1927 और 1955 को बन्नी संरक्षित वन की अधिसूचना लागू हो गई, जिससे हमें स्थानबद्ध जीवनशैली जीने को मजबूर होना पड़ा।" यह ईशा भाई, मालधारी पशुपालक, गोरेवाले गांव के बाशिन्दे हैं, जिन्होंने पुराने जमाने को याद किया। उन्होंने कहा कि "इसके बाद वन विभाग ने एरियल सीडिंग (रोपण की एक तकनीक, जिसमें बीजों का छिड़काव किया जाता है) गांडा बबूल (कांटेदार झाड़ी) को लगाया। बन्नी में वन मंडल के बनने और 2009 कार्ययोजना आने से यह चरागाह इलाका इससे प्रभावित हुआ। बहरहाल, इसके बाद हमने सामुदायिक वन अधिकार के लिए दावा किया, जो अभी प्रक्रिया के अंतर्गत है।"

मालधारियों का बन्नी चरागाह, एशिया में सबसे बड़े चरागाहों में से एक है और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित व फैला है। भारत में यह पहला पशुपालक समूह है, जिसने वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन अधिकार (सी.एफ.आर.) के लिए सफलतापूर्वक दावा किया है। सामुदायिक वन अधिकार (सी.एफ.आर.) के लिए 2500 वर्ग किलोमीटर का दावा किया गया है। 1947 के पूर्व, चारागाह पर निर्भरता समुदाय आधारित थी, न कोई व्यक्तिगत मालिकाना था और न ही कोई भोगौलिक सीमा थी। 1947-55 के बीच बन्नी चरागाह राजस्व विभाग के अंतर्गत आया, 1955 में संरक्षित वन बन गया। 1988 में वन विभाग ने अधिकृत रूप से चरागाह की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दे दी। इससे चरागाह के स्वामित्व में अस्पष्टता हो गई, न तो वन विभाग और न ही राजस्व विभाग ने इसके स्वामित्व को स्वीकार किया।

पशु और पशुपालकों के लिए आयोजन

यहां बन्नी संरक्षित वन के अंतर्गत 19 ग्राम पंचायतों के 54 वनग्राम हैं। 47 गांवों ने सामुदायिक वन अधिकार (सी.एफ.आर.) का दावा किया और जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया। लेकिन आदिवासियों के कई प्रतिनिधि, वन मंत्री व कलेक्टर होने के बावजूद अधिकार पत्र नहीं मिला। ग्राम सभा ने सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति का गठन किया, और उन्होंने उनकी योजना पर गांव के जानकार वयस्कों से परामर्श किया, जो घास की कई प्रजातियां व अलग-अलग क्षेत्रों की देशज् झाड़ियां, मिट्टी की विविधता, वन्यप्राणी जैसे सारस, सियार, और लोमड़ी आदि को जानते पहचानते हैं।

इस साल जनवरी और फरवरी (2020) में सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति (सी.एफ.आर.एम.सी.) अपने 15 गांवों में संरक्षण व प्रबंधन योजना बनाने में व्यस्त थी। विशेषकर, गांडा बबूल जैसी आक्रामक प्रजाति को समूल खत्म करने की योजना। यह गांडा बबूल तेजी से बढ़ता है और स्थानीय घास व औषधीय पौधों को नष्ट करता है। शेरवो गांव में सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति ने मशीन से 200 हेक्टेयर में गांड़ा बबूल को उखाड़कर हटा दिया। जबकि मिसरीयादो गांव में 150 हेक्टेयर से इस आक्रामक झाड़ी को साफ कर दिया। जब तालाबंदी की घोषणा हुई, सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति ने इस काम को रोक दिया।

मालधारी समुदाय मुख्यतः देशी पशुपालन पर निर्भर है। यहां काकरेज गाय और बन्नी भैंस होना सामान्य बात है। अधिकांश परिवारों के पास 50-100 पशु होते हैं, एक गांव में लगभग 5 हजार पशु और पूरे इलाके में लगभग 1 लाख पशु होंगे। मोटे तौर पर पशुपालक समुदाय की

मालधारी पशुपालक बन्नी ग्रासलैंड सीएफआर क्षेत्र की घोषणा वाले एक साइन बोर्ड के पास खड़े हैं

1 नर्मदा गुजरात
2 गोंदिया महाराष्ट्र
3 राजनांदगांव छत्तीसगढ़
4 धुले महाराष्ट्र
5 कच्छ गुजरात

पशु और पशुपालकों के लिए आयोजन

6 नंदुरबार महाराष्ट्र
7 आलिपुरद्वार पश्चिम बंगाल
8 डिंडौरी मध्य प्रदेश
9 चामराजनगर कर्नाटक
10 नयागढ़ ओडिशा

आजीविका व अस्तित्व दूध उत्पादन से है, कुछ समुदायों के सदस्यों के पास खाद्यान्न की कमी है। इस दौरान पड़ोसियों ने मदद की। इसी समय वाणिज्यिक चारे के दाम बढ़े, और समुदाय को महसूस हुआ कि उनका खुद का चरागाह प्रबंधन हो और उन्होंने आक्रामक पौधों को उखाड़कर हटा दिया।

संयोगवश, तालाबंदी गर्मी के मार्च से मई महीने में हुई, इस समय बन्नी चरागाह सूखे होते हैं। और वर्षा जल संचयन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि लाखों पशु भी इस पर निर्भर हैं। वर्षा जल संचयन व्यवस्था अनिवार्य है, इन सबकी अच्छी तरह देखभाल करने के लिए हर साल यह जरूरी है। जब तालाबंदी दूसरी बार खत्म हुई, सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति ने उनकी राशि जल प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की और मजदूरों को इस राशि से भुगतान किया। इससे झीलों का भूजल पुनर्भरण हुआ। जल प्रबंधन की सामूहिक व्यवस्था आबत, समुदायों छोटे कुएं खोदते हैं, इसे बिरदा कहते हैं। यह पारंपरिक जल संचयन की विधि है, इसमें मीठा पीने का पानी संग्रह होता है। जुलाई और अगस्त में कच्छ के कई हिस्सों में बारिश होती है। इसलिए तालाबंदी में समुदाय ने बन्नी चरागाह और लोगों की आजीविका के प्रबंधन का काम समय से व अच्छी तरह से किया।

1 नर्मदा गुजरात | 2 गोंदिया महाराष्ट्र | 3 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ | 4 धुले महाराष्ट्र | 5 कच्छ गुजरात

पलायन में कमी

6 नंदुरबार महाराष्ट्र | 7 आलिपुरद्वार पश्चिम बंगाल | 8 डिंडौरी मध्य प्रदेश | 9 चामराजनगर कर्नाटक | 10 नयागढ़ ओडिशा

विषय

बाहरी पलायन में कमी, लघु वनोपज आजीविका

(बाएं) समुदाय कार्यरत हैं और अपने स्वयं के वन प्रबंधन के लिए काम करते हैं; (दाहिने) समुदाय ने सीएफआर क्षेत्रों पर स्थानीय पेड़ लगाए

महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला सामुदायिक वन अधिकार में दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यहां अप्रैल में समुदाय को 2,16,723.10 हेक्टयर जमीन का अधिकार पत्र मिला है। जंगल में भूतया, महुआ, कुद्दापाह (चार) पेड़ हैं, और यही सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन योजना का हिस्सा हैं। सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति ने वन निवासियों को कहा है कि ज्यादा पौधा रोपण करें जिससे आजीविका मिलने में मदद मिल सके।

लघु वनोपज संग्रहकर्ताओं को संगठित किया गया और वनोपज संग्रह करनेवाले सदस्यों को इससे जोड़ा। सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति ने सभी लुघ वनोपज संग्रहकर्ताओं से वनोपज खरीदी और उन्हें अपेक्षाकृत उचित दाम व बोनस राशि दी। यह भी संभव हुआ कि वे सीधे व्यापारियों को इसे बेच सकते हैं, बिचौलिए व दलालों के चक्कर न पड़ें। समिति ने ऐसे व्यक्तियों की मदद के लिए, जो किसी कारणवश या कठिनाई के चलते इस मौसम में वनोपज संग्रहण करने में असमर्थ हैं, दिशानिर्देश दिए और उनके लिए राशि आवंटित की। सभी की आजीविका सुनिश्चित करने की गारंटी दी।

लोक समन्वय प्रतिष्ठान की प्रतिभा शिंदे ने कहा कि *" वर्ष 2016 तक बहुत से मजदूर काम के लिए नंदुरबार जिले से जाते थे। मजदूर 6 महीने के लिए खेतों में काम करने बाहर जाते थे, अब नहीं जाते, पलायन रूक गया है। कोविड-19 की तालाबंदी के दौरान गांवों में आजीविका के लिए वनोपज संग्रहण, मनरेगा के तहत वृक्षारोपण और तालाब निर्माण, सिंचाई और अन्य उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन इत्यादि हुए। सभी काम सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति के*

माध्यम से हुए। पूरे जिले में जल प्रबंधन की रूपरेखा बनी है, उसमें तारानमल क्षेत्र पर जोर है, इसका समिति ने क्रियान्वयन किया। मजदूरों को औसतन 250-300 रूपए प्रतिदिन मजदूरी के रूप में मिले। गांवों में मजदूरों के रूकने से फायदा हुआ, उन्होंने जंगल का संरक्षण किया और बच्चों की शिक्षा वगैरह पर भी ध्यान दे पाए। "

कोविड-19 के दौरान सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति ने इंदौर व मुंबई में गोंद को 70 रूपए किलोग्राम के हिसाब से बेचा। और मजदूरों को संग्रहण करने के लिए 10 रूपए प्रति किलोग्राम बोनस मिला। महुआ को 50 रूपए किलोग्राम में बेचा और मजदूरों को 40 रूपए किलोग्राम के हिसाब से दिए, साथ में 5 रूपए प्रति किलोग्राम बोनस के भी दिए गए। तालाबंदी के दौरान, ग्रामीणों ने वनोपज संग्रहण से जो कमाई की, उससे गांव की दुकान से जरूरी सामग्री खरीदी।

पिछले कुछ सालों से समुदाय ने पौधारोपण किया है, जिससे वनोपज ली जाए। तालाबंदी के दौरान ग्रामीणों ने आम के पेड़ लगाए। जिससे भविष्य में आजीविका और खाद्य सुरक्षा होगी। इस साल समुदाय वनोपज संग्रहण किया और बेचा, महुआ और गोंद की बिक्री से मजदूरों को मजदूरी मिली और लाभ में से बोनस मिला। कुछ वनोपज की बिक्री के लिए समिति को उचित दाम पर बिक्री का इंतजार है।

(बाएं) समुदाय अपने वनों का संरक्षण और देखभाल करते हैं; (दाहिने) विविध वन खाद्य पदार्थों का उपयोग करके खाना बनाते हुए

1 नर्मदा गुजरात | 2 गोंदिया महाराष्ट्र | 3 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ | 4 धुले महाराष्ट्र | 5 कच्छ गुजरात

वनों की सामुदायिक रक्षा

6 नंदुरबार महाराष्ट्र | 7 आलिपुरद्वार पश्चिम बंगाल | 8 डिंडौरी मध्य प्रदेश | 9 चामराजनगर कर्नाटक | 10 नयागढ़ ओडिशा

विष

संरक्षित क्षेत्र में वनों की रक्षा, समुदाय का वन शासन

(बाएं) कोडल बस्ती के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड, सामुदायिक वन अधिकारों की घोषणा करता हुए; (दाहिने) दक्षिण मेंदाबरी ने स्वयं वन सामुदायिक अधिकारों की घोषणा की

पश्चिम बंगाल में अब तक आधिकारिक रूप से सामुदायिक वन अधिकार (सी.एफ.आर.) को मान्यता नहीं मिली है। यहां रावा, संथाल,उरींव मेच और कोच और अन्य वन निवासी वन टोंग्या समुदाय से हैं। यह पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा टाइगर रिजर्व के बाशिन्दे हैं। यह सभी कई सालों से वन संरक्षण का काम कर रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान टोंग्या समुदाय को वन निवासी के नाम से जाने जाते थे, वे वन भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण करते थे, यह ज्यादातर बिना मजदूरी और अधिकारों से वंचित होकर करना पड़ता था। वर्ष 2009 तक, मजदूरों को बिना किसी अधिकार दिए वन विभाग वन कटाई (क्लियर फेलिंग काप) करवाता रहा है। वन अधिकार कानून, 2006 आने के बाद और वर्ष 2008 में समुदाय के कई लोगों वन दावे किए और अधिकारों की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अभी भी वन अधिकार मिलना दुर्लभ है।

कोदल बस्ती, उत्तर, दक्षिण मेंदाबारी ने अन्य वन निवासियों को राह दिखाई है। वन अधिकारों को अमल में लाने, लूट से जंगल को बचाने, मछली पकड़ने, जलाऊ व वनोपज और वन संसाधनों प्रबंधन की राह दिखाई है। कोदल बस्ती, जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्याने में स्थित है और यह पहला गांव है जिसने पश्चिम बंगाल में सामुदायिक वन अधिकार के लिए स्वघोषणा की। सामुदायिक वन अधिकार के लिए दावा फार्म भरने के बाद गांववासियों ने बोर्ड लगाया जिसमें उन्होंने दर्शाया कि जंगल का समुदाय ने प्रबंधन व संरक्षण किया है। इसके बाद यह आंदोलन चला और कई गांववालों ने ऐसे बोर्ड लगाए। कुछ बोर्ड तो कांक्रीट के लगाए गए, जिसमें समुदाय के जंगल की सीमा को चिन्हित किया गया।

वनों की सामुदायिक रक्षा

एक तरफ वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन समिति बनाई और उसे बढ़ाने की कोशिश की, पर ग्रामसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया, ग्रामसभा का मानना था कि संयुक्त वन प्रबंधन समिति आमतौर पर वन विभाग के पक्ष में काम करती है और समुदाय के लोगों के अधिकारों को मान्यता नहीं देती। वर्ष 2014 में सामुदायिक वन अधिकार के प्रावधानों का उपयोग करते हुए 99 वन ग्राम, जो अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के थे, को कागज पर राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर नौकरशाही को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, और ये गांव कागज में ही रहे, असल में लोगों को कानूनी अधिकार नहीं मिला।

मई, 2020 में कोविड-19 तालाबंदी की शुरूआत में, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में अम्फन चक्रवाती तूफान की लहरें आईं। अलीपुरद्वार में भी भारी वर्षा हुई, पर यहां बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ। कुरमई बस्ती के सुंदर सिंह रावा कहते हैं कि *" कई सालों से यहां समुदाय संगठित हैं, उनके जंगल की रक्षा और संरक्षित करने के लिए और सामुदायिक वन अधिकार के लिए कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से कोदल बस्ती को वनों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है, उन्होंने वनों को चोरों से बचाया है।"*

वे आगे कहते हैं कि "इस साल चक्रवाती तूफान और तालाबंदी संयोगवश एक साथ आए, इसलिए जंगल में बहुत कम लोग थे। वन विभाग ने जंगल में कम लोग होने का फायदा उठाया, और बहुत से पेड़ों की कटाई कर दी, जबकि तूफान से हमारे इलाके में बारिश के दौरान सिर्फ 10 पेड़ ही गिरे थे। कोदल बस्ती के लोगों ने इसमें हस्तक्षेप किया और वन विभाग को पेड़ काटने से रोका। हाल के कुछ वर्षों में पुलिस विभाग की वन निवासियों के साथ सहानुभूति बढ़ी है। पहले जब पुलिस निर्विवाद तरह से वन विभाग का साथ देती थी। समय के साथ साथ पुलिस को यह लगा कि जब ग्रामीण लोगों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है तब वन विभाग उनके साथ क्रूर बर्ताव करता है, उन गरीब लोगों के साथ जो उनके वन अधिकारों के लिए रक्षा करना चाह रहे हैं।"

बुक्सा टाइगर रिजर्व के गारोबुस्ती गांव के वन टोंग्या समुदाय के लाल सिंह भुजेल कहते हैं कि *"तालाबंदी के दौरान हम जंगल में गए थे। हम जंगल से कई चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे घास, वनोपज संग्रह जैसे काचू, छातू, बेर, औक लाली बीज, जंगली खाद्य जो पोषण का स्रोत हैं, तालाबंदी के दौरान व उसके बाद भी कई परिवार इसी पर निर्भर रहे। अब हमारे गांव में सामूहिक खेती की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहे हैं जिससे खाद्य सुरक्षा और आजीविका को बढ़ावा मिले। प्रवासी मजदूर कई गांवों में घरों को लौटे हैं पर वहां ग्रामीण रोजगार की कमी है। हम ग्राम सभा के स्व शासन के माध्यम से रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। "*

आदिवासी महिलाओं द्वारा कोविड-19 में राहत व्यवस्था

विषय

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (पीवीटीजी) समुदाय, महामारी से मुकाबला की क्षमता और सहयोगी समूह

(बाएं) बैगा महिलाएं जंगलों की ओर चलती हुए; (दाहिने) ग्रामदुत कार्यकम अभियान और बैगा ग्राम सभा की बैठक

घने जंगलों का इलाके को बैगा चक कहा जाता है, यहां मुख्यतः बैगा आदिवासी जो विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में हैं, का पर्यावास है। उमरिया और डिंडौरी जिले के 70 गांव, जो जंगल पट्टी के हिस्से हैं। वर्ष 2008 से ग्रामदूत कार्यक्रम और जंगल अध्ययन मंडल को समुदाय का सहयोग है, इन सबने अधिकार आधारित जन जागरूकता मुहिम चलाई हुई है, और सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इस मुहिम की शुरूआत में व्यक्तिगत वन अधिकार को मान्यता मिली। वर्ष 2017 से सामुदायिक वन अधिकार की मान्यता के लिए जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में डिंडौरी विकासखंड के 10 गांवों के सामुदायिक वन अधिकार के दावा फार्म भरे लिए गए हैं, पूरे साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ तैयार कर लिए गए हैं। ग्रामसभा ने इन्हें जमा करने के लिए तैयारी की है, सामुदायिक वन अधिकार के लिए आगे की कार्रवाई के लिए, पर उसी समय तालाबंदी की घोषणा हो गई।

इस मुहिम के नेता बलवंत राहांगदाले का कहना है कि *"मध्यप्रदेश में सामुदायिक वन अधिकार के लिए सांस्थानिक समर्थन बहुत कम है, और समुदाय को मुख्यतः निस्तार अधिकार दिया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग को दस्तावेज देना चाहिए और ग्राम सभा को सशक्त करना चाहिए और सामुदायिक वन अधिकार की दावे की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। इसकी बजाय वन विभाग सर्वोच्च बना हुआ है और आमतौर पर न केवल वन अधिकार कानून का उल्लंघन करता है बल्कि संविधान का भी उल्लंघन करता है। ग्राम सभा की अपेक्षा ग्राम पंचायत के पास ज्यादा अधिकार हैं।*

आदिवासी महिलाओं द्वारा कोविड-19 में राहत व्यवस्था

इसलिए, डिंडौरी जिले में विशेष तौर पर बैगा चक के 22 गांवों में ग्रामदूत की टीम बनाकर सामुदायिक वन अधिकार पर जागरूकता की मुहिम चलाई गई। जबकि पूरे जिले में कई समुदायों को व्यक्तिगत व निस्तार अधिकारों को मान्यता मिली है। अब हम 10 ग्रामसभा में सामुदायिक वन अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। निस्तार अधिकार किराए के समान है, जबकि सामुदायिक वन अधिकार अपने खुद के घर की तरह है।"

वर्ष 2009 से बैगा चक के 24 गांवों में सामुदायिक वन अधिकार के लिए आंदोलन चल रहा है। सामुदायिक वनों का संरक्षण, प्रबंधन व रक्षा की मुहिम चल रही है। समुदाय सामुदायिक वन अधिकार को अभ्यास में लाने के लिए वनों को आग से बचाने, फरवरी- मई में हर साल अग्निरक्षा पट्टी बनाने, बिना ग्रामसभा की अनुमति के वनों की कटाई पर रोक लगाने, और ग्रामसभा के वनों को बाहरी अतिक्रमण से बचाने और समुदाय को लघु वनोपज व औषधीय पौधों का संग्रहण करने के लिए संगठित किया जा रहा है।

बैगा चक इलाके में बहुत से समुदाय बाहरी सूचनाओं व संपर्क से कटे हुए हैं। जब तालाबंदी की घोषणा हुई, यहां काफी भ्रम व अस्पष्टता थी, और लोगों को यह पता नहीं था कि तालाबंदी का मतलब क्या है। इसी समय समुदाय के कई सदस्य जंगल पर निर्भर थे। और शहर व कस्बों में रोजाना की जरूरत की चीजों के लिए जाते थे, बिना किसी पूर्व सूचना व नोटिस के तालाबंदी से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। यहां ऐसी रिपोर्ट भी आई कि कस्बों में बैगा आदिवासियों की पुलिस ने पिटाई की, इससे तालाबंदी के दौरान डर का माहौल बना।

24 मार्च और 29 अप्रैल के बीच लोगों की कोई मदद नहीं थी, और कोविड-19 के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं थी। स्वैच्छिक कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पंचायत ने डिंडौरी जिला कलेक्टर से संपर्क किया, और मदद की मांग की। उन्होंने समुदाय को 3 माह का राशन देना, सुनिश्चित किया। साथ ही रेडियो व अन्य संचार साधनों से स्वास्थ्य व तालाबंदी के बारे में गांवों में जानकारी की भी मांग मानी। इस मुहिम ने प्रत्यक्ष रूप से भी तहसीलदार व जिला कलेक्टर के साथ मिलकर समुदाय को जानकारी दी। 15 मई के बाद प्रवासी मजदूर उनके गांव लौटे, मुहिम से जुड़े लोगों ने मांग की कि उन्हें जिला मुख्यालय में क्वारंटीन किया जाए। ग्राम सभा स्तर पर कई गांवों के लोगों ने बागुड लगाई, क्योंकि उन्हें बाहरी व्यक्तियों के गांव में आने का डर था। यह इलाका छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़ा है।

आदिवासी महिलाओं द्वारा कोविड-19 में राहत व्यवस्था

ग्रामसभा में महिलाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे शारीरिक दूरी की व्यवस्था बनी।

1. महिलाओं ने यह सुनिश्चित किया कि जलस्रोतों- झरने या नदी, हैंडपंप से पानी भरने के दौरान भीड़ न हो।
2. मृत्यु, जन्म, शादी-विवाह के मौके पर शारीरिक दूरी का पालन किया जाए, यह सुनिश्चित किया।
3. राशन दुकानों में यह सुनिश्चित किया कि वहां भीड़ न हो। इसके लिए दुकानों पर जाने के लिए अलग-अलग मोहल्ले के लोगों को अलग अलग दिन निर्धारित किए गए।

आदिवासी सहकारिता व संगठन

विषय

स्थानीय आदिवासी संस्थान, सरकारी जवाबदेही की मांग, संरक्षित वन में वन अधिकार

(बाएं) आंवला और अन्य एमएफपी एकत्र करते हुए; (दाहिने) सोलीगा समुदायों लैंटाना बेल निकालते हुए, जो पहले के दशकों में वन विभाग द्वारा लगाए गए सागौन के साथ-साथ बढ़े थे

बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर (बी.आर.टी.) टाईगर रिजर्व वन क्षेत्र में सोलिगा आदिवासी रहते हैं। उनका जीवन प्रकृति के साथ सहजीवी है। यहां वर्ष 2011 में, चामराजनगर जिले में 25 ग्रामसभाओं को सामुदायिक वन अधिकारों (सी.एफ.आर.) की मान्यता मिली थी, इसके बाद 10 ग्रामसभाओं को बी.आर.टी.टाईगर रिजर्व में मान्यता मिली। वर्तमान में 61 बस्तियों में से 42 बस्तियों की 35 ग्रामसभाओं को सामुदायिक वन अधिकार को कानूनी मान्यता मिली है। इसके साथ ही, 10 बस्तियों के दावे उपखंड स्तर पर और 9 बस्तियों के दावे ग्रामसभा स्तर पर है।

बी.आर.टी.टाईगर रिजर्व के सोलिगा समुदाय में कोरोना वायरस और तालाबंदी से पुराना डर लौट आया। कई साल पहले यहां सोलिगा आदिवासियों को इसी तरह की महामारी से जूझना पड़ा था, उन्हें इसका अनुभव था। अब तक, इस समय भी कोविड-19 और उसके प्रभावों से लोग अनजान हैं, इसलिए स्थानीय संगठनों ने जागरूकता अभियान चलाया। जिला *बुदाकट्ट अभिवृद्धि संघ* और *तालुक सोलिगा अभिवृद्धि संघ* या जन मंच ने तालाबंदी के दौरान महामारी से सामना करने के लिए काम किया।

तालाबंदी के पहले, 290 मजदूर बी.आर.टी. टाईगर रिजर्व के अंदर, कोदागू और हसन जिलों के काफी बागानों में, और कुछ तमिलनाडु और केरल में काम करने गए। यह मजदूर अचानक तालाबंदी से दहशत में आ गए और उन्हें खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। क्योंकि काफी बागान मालिकों ने बागान बंद कर दिए। एक बार फिर सोलिगा समुदाय के लोगों ने संघ के नेताओं से संपर्क किया। और उन्होंने जिला प्रशासन से खाद्य व राशन की मांग की। यहां ध्यान देनेवाली बात है कि बहुत से परिवार अन्य जिलों में या अन्य राज्यों में साल में 4-5 महीने रोजगार

आदिवासी सहकारिता व संगठन

के लिए पलायन करते हैं। सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता मिलने के बाद कई परिवारों का पलायन बंद हो गया और वे वनोपज संग्रहण के काम में सक्रिय हो गए।

सोलिगा परिवार अचानक तालाबंदी से दहशत में आ गए, क्योंकि खाद्य सामग्री भंडारण कर रखना उनकी आदत में नहीं है। वे हर रोज जंगल जाते हैं और वनोपज संग्रहण करते हैं, जैसे कंद, फल और हरी पत्तीदार सब्जियां इत्यादि। और रोज खाद्य सामग्री खरीदते हैं और खाते हैं. आदिवासी नेताओं ने जिला आयुक्त और जिला जनजाति कल्याण अधिकार से संपर्क किया और पोषणयुक्त खाद्य सामग्री वितरित करने की मांग की। इसने खाद्य सुरक्षा का काम किया, जो लोग तालाबंदी के दौरान कंद और हरी पत्तीदार सब्जियां खा रहे थे।

शहद आजीविका की महत्वपूर्ण स्रोत है। तालाबंदी खुलने के बाद अप्रैल से जुलाई में संयोगवश वह शहद संग्रहण का समय भी होता है, लोगों ने शहद संग्रहण किया और बड़े पैमाने पर आदिवासी बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति (एल.ए.एम.पी.एस.) को बेचा। इस साल तालाबंदी के दौरान शहद संग्रहण से प्रत्येक संग्रहकर्ता को 185 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से मजदूरी मिली। जबकि 200 रूपए किलोग्राम के हिसाब से उसकी बिक्री हुई।

बी.आर.टी.टाईगर रिजर्व के केथेगोड़ा ने कहा *कि " सोलिगा समुदाय लगभग 28 प्रकार की वनोपज (शहद, आंवला) संग्रह करता है। और उनकी आधी आमदनी इसी वनोपज से आती है। मैं और मेरा समुदाय जंगल जाते हैं और वहां से कंद, फल, हरी पत्तीदार सब्जियां लाते हैं, जिसे खुद उपयोग करते हैं और बाकी को बेचते हैं। शहद संग्रहण भी करते हैं और उसे बड़े पैमाने पर आदिवासी बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति (LAMPS) को बेचते हैं। कुछ साल पहले इस समिति का प्रबंधन सरकार करती थी, अब आदिवासी संघ इसका प्रबंध करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है आमदनी का, जिससे आदिवासियों को काफी मदद मिलती है। तालाबंदी के दौरान आदिवासी बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति से अच्छी आमदनी हुई जिससे काफी मदद मिली।"*

तालाबंदी के दौरान सोलीगा समुदायों ने शहद की फसल की

1 नर्मदा गुजरात | 2 गोंदिया महाराष्ट्र | 3 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ | 4 धुले महाराष्ट्र | 5 कच्छ गुजरात

वन संरक्षण व खाद्य सुरक्षा

6 नंदुरबार महाराष्ट्र | 7 आलिपुरद्वार पश्चिम बंगाल | 8 डिंडौरी मध्य प्रदेश | 9 चामराजनगर कर्नाटक | 10 नयागढ़ ओडिशा

विषय

वनों की रक्षा, सामुदायिक संरक्षण व पुनर्जीवन, जंगली खाद्य सुरक्षा, पोषण

(बाएं) नाथपुर के आसपास के घने जंगल ; (दाहिने) नथापुर गाँव का एक दृश्य

नयागढ़ जिले के नाथपुर गांव के कौंध आदिवासी कई सालों से तांगी रेंज में वनों की रक्षा कर रहे हैं। रानपुर विकासखंड में वन संरक्षण की लंबी परंपरा है। यहां महिलाएं करीब 40 साल से वन संरक्षण के लिए जा रही हैं। इसके बावजूद, सामुदायिक वन अधिकार का कानूनी अधिकार नहीं मिला है। नाथपुर गांव के लोगों ने जलवायु बदलाव से पहले ही वनों के महत्व को समझ लिया था, जो संकट अभी दिख रहा है।

वर्ष 1993 से समुदाय के लोगों ने वन की रक्षा करना शुरू किया, जब स्थानीय लकड़ी माफिया ने वनों को उजाड़ दिया और पूरी तरह उन्हें नंगा कर दिया, गांव पेड़ों के बिना रूखा-सूखा हो गया। वर्ष 2004-05 में वन विभाग ने गैर देशी पौधे और बांस लगाए। नाथपुर और कारदापल्ली के सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में बांस लगाए। वन विभाग ने गांववासियों ने इसकी सहमति नहीं ली और उनके बीच में संदेह बढ़ा दिया। गांववालों ने इस योजना का विरोध किया, उनका कहना था कि यहां बांस पहले से ही है। सालिया (*Dendrocalamus strictus*) और कांथा (*Bambusa bambos*) दोनों को गांववाले उगा रहे हैं।

इसके अलावा, ग्रामीणों ने किसी भी तरह की गैरजरूरी और मानवीय हस्तक्षेप का विरोध किया। जंगल की बारी-बारी से रखवाली की व्यवस्था की, यह पारंपरिक व्यवस्था है जिसे ठेंगापाली के नाम से जाना जाता है। यह जंगल की निगरानी व रखवाली है, जिसे लोग पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। वे प्राकृतिक पुनर्जीवन की छूट देते हैं पक्षी,कीट और बीजों हवा में बिखर जाते हैं, पानी भी

बीजों को बहाकर बंजर भूमि में ले जाता है। धीरे धीरे देसी प्रजातियों के पेड़ और उनसे संबंधित प्रजातियों के पौधे जड़ पकड़ लेते हैं और हरा-भरा जंगल बनाते हैं। नाथपुर गांव का जंगल इसका अच्छा उदाहरण है कि अगर जंगल को विश्राम दिया जाए, या पहले जैसा था उसे वैसे ही ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए तो वह फिर से पहले जैसा हरा-भरा पुनर्जीवित हो जाता है। जिले में वर्ष 2013 से 24 सामुदायिक वन अधिकार (सी.एफ.आर.) लंबित हैं। इसके बावजूद भी नाथपुर व अन्य गांवों की ग्रामसभा वन अधिकार के तहत् वनों का संरक्षण व प्रबंधन कर रहे हैं।

कोविड-19 की महामारी व तालाबंदी के दौरान नाथपुर के लोगों ने खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका की सुरक्षा का उदाहरण पेश किया। परंपरागत रूप से गांववालों ने महसूस किया कि कई जंगली पौधे उनके खान-पान व पूरक आहार का हिस्सा हैं। वे कंद, पत्ते, कांदा,टहनी, फूल, फूल को नियमित रूप से खाते हैं और खाद्य की कमी के समय वे इन्हें खाते हैं। वे इन्हें कच्चा, उबालकर, भूनकर, तलकर और पकाकर कई तरह से खाते हैं। जैसे सब्जी की कढी दाल व चावल के साथ उनके भोजन का हिस्सा है। इसकी जरूरत खाद्य सामग्री व भोजन की कमी में और बढ़ जाती है।

(बाएं) सियाली पत्ती प्लेटों का एक प्रदर्शन; (दाहिने) महिलाएं सियाली पत्ती की प्लेट तैयार करते हुए

वन संरक्षण व खाद्य सुरक्षा

नाथपुर की बुजुर्ग महिला सचला प्रधान का कहना है कि *"हमने हमारे सामुदायिक वन क्षेत्र से तालाबंदी के दौरान कंद, फल, पत्ते, सब्जियां, मशरूम और मछलियां खाईं। सिर्फ हमें ही इससे लाभ नहीं मिलता बल्कि मछुआरा समुदायों को भी फायदा होता है। आसपास के करीब 50 गांव के लोग इस जंगल पर बांस व वनोपज और आजीविका के लिए निर्भर हैं। हमारी जंगल बचाने की पहल से हमें ही नहीं, बल्कि हमारी आनेवाली पीढ़ियों के लिए भी लाभांवित होंगी, वे इसे याद करेंगी। यह हमारे जीवन व आनंद के लिए ही नहीं है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी याद किया जाएगा।"*

प्रमिला प्रधान ने यह भी जोड़ा कि *"तेंदूपत्ता, सियाली पत्ता और अन्य वनोपज से बहुत से लोगों की आजीविका को मिलती है। इसने महामारी में सामाजिक सुरक्षा की भूमिका निभाई है। हमारा जंगल पशुओं व और घरेलु मवेशियों के लिए जरूरी है, इससे चारा मिलता है। इससे पशुओं की सुरक्षा भी होती है।"*

,स्वास्थ्य के संकट के दौर में नाथपुर गांव के लोगों की जंगल से आनेवाली थाली से विविध भोजन खाया। यहां जंगली पौधों में सूक्ष्म और स्थूल पोषक दोनों तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें कुपोषण, पोषक तत्वों की कमी और इससे जुड़ी बीमारी आदि को दूर करने या नष्ट करने की क्षमता है। इस बात के प्रमाण हैं कि पौधों में जैव विविधता भोजन में विविधता की ओर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप, सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

मुख्य सीख

जैसा कि इस अध्ययन में बताया गया है कि **वन अधिकार कानून के तहत् वन अधिकारों को मान्यता मिलने से और उसके इस्तेमाल से, आदिवासियों व अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए यह संभव हुआ है कि वे कोविड की महामारी व तालाबंदी का सामना कर पा रहे हैं और काम कर रहे हैं।** इन कहानियों से कुछ सीखने योग्य बातें उभरकर सामने आई हैं, यह उन कहानियों की गवाह भी हैं, जो यहां दर्ज नहीं हैं।

1. **स्थानीय लोग स्थानीय जटिलताओं को समझते हैं और जब सशक्त हो जाते हैं तो तेजी से काम करते हैं :** महत्वपूर्ण सबक यह है कि स्थानीय लोग और संस्थान स्थानीय जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं, विशेष संदर्भ की तात्कालिक व दीर्घकालिक जटिलताओं की स्थानीय प्रशासन की तुलना में बेहतर समझ रखते हैं। इसके फलस्वरूप, सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता मिलने के माध्यम से जब वे सशक्त हो जाते हैं तब वे संदर्भित उपयुक्त कार्रवाई करते हैं और स्थानीय प्रशासन की तुलना में तेज गति से स्थिति को संभाल लेते हैं।
2. **सुरक्षित कार्यकाल और सशक्त ग्रामसभा से पलायन का संकट कम किया जा सकता है :** सुरक्षित कार्यकाल और व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों को मान्यता और आदिवासी व अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रभावी प्रबंधन, उनके प्रथागत वनों को पुनरूज्जीवित या संरक्षित करने और उनकी प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित और विविध स्रोतों की आजविका उपलब्ध व सुनिश्चित करने के लिए मदद व समर्थन देना। इससे पलायन का संकट कम हो गया। सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता और ग्रामसभा की आत्म स्वायत्तता ने पलायन कम किया। और पर्याप्त रूप से गांव में ही आजीविका के मौके दिए। यह बहुत महत्वपूर्ण सीख है कि, प्रवासी मजदूरों के परिप्रेक्ष्य में, जो सबसे ज्यादा वंचित व आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उन्हें गांव में ही आजीविका दी जा सकी।
3. **स्थानीय लोगों की दीर्घकालीन वन संरक्षण की पहल से समुदाय को फिर से खड़ा से होने में मदद मिली और यह विविध पारिस्थितिकी तंत्र का नतीजा भी है :** स्वस्थ व विविध पारिस्थितिकी जिसका अच्छे से प्रबंध हो, पुनरूज्जीवित और संरक्षित हो तो उसमें स्थानीय समुदाय की जरूरतें पूरी करने की बड़ी संभावना है। विशेषकर, महामारी के कठिन समय में भी इससे मिलती है। वन संरक्षण की पहल के साथ सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता मिलने से गांववासियों की मदद हुई, और जंगल में उनकी पहुंच हुई जिससे वे तालाबंदी के दौरान खाद्य व अन्य जरूरतें पूरी कर सके।
4. **वन विभाग की वृक्षारोपण योजना की बजाय पारिस्थितिकी संरक्षण, पुनरूज्जीवित करने की रणनीति, और योजना व स्थानीय ज्ञान पर आधारित पहल ज्यादा प्रभावी है :** कच्छ गुजरात के बन्नी चरागाह में सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समिति के नेतृत्व में समयबद्ध वन पुनरूज्जीवन, संयुक्त वन प्रबंधन को कार्यान्वित किया जिससे वहां पानी और पशुपालकों की और उनके पशुओं के आहार की सुनिश्चितता हुई। विशेषकर, तालाबंदी के दौरान जब आवाजाही पर रोक थी। यह योजना स्थानीय मालधारी समुदाय के पानी, मिट्टी और वन्यजीवों के पारंपरिक ज्ञान पर आधारित थी, जो इस विशेष चरागाह में विकसित हुआ है।

1 नर्मदा गुजरात	2 गोंदिया महाराष्ट्र	3 राजनांदगांव छत्तीसगढ़	4 धुले महाराष्ट्र	5 कच्छ गुजरात
6 नंदुरबार महाराष्ट्र	7 आलिपुरद्वार पश्चिम बंगाल	8 डिंडौरी मध्य प्रदेश	9 चामराजनगर कर्नाटक	10 नयागढ़ ओडिशा

मुख्य सीख

5. **संसाधनों पर अधिकार से सशक्त होंगे तो स्थानीय संस्थान स्थानीय जरूरतों में निवेश करेंगे :** जब वनों पर सामुदायिक अधिकार व मालिकाना हक मिलेगा। ग्राम सभा की शक्तियों के साथ वनों का प्रबंध व इस्तेमाल होगा, आदिवासी समुदाय को अन्य गतिविधियों जैसे सुरक्षित आजीविका व खाद्य में निवेश करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में भी वे निवेश कर सकेंगे। वन अधिकारों पर मान्यता मिलने से ग्राम सभा को भी अनुकूल काम व नवाचार करने में सुविधा होगी,जिससे महामारी जैसी स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी।
6. **वनोपज पर मालिकाना हक मिलने से बेहतर व समयबद्ध आजीविका सुनिश्चित हुई, तालाबंदी के दौरान भी :** लघु वनोपज (जैसे महुआ, बांस, तेंदूपत्ता) पर अधिकार मिलने से घरेलू आमदनी बढ़ी, और ग्रामसभा की आय में योगदान बढ़ा, जिससे टिकाऊ अर्थव्यवस्था हुई और आदिवासियों व अन्य परंपरागत वन निवासियों को फिर से खड़ा होने में मदद मिली।
7. **जब स्थानीय लोगों के पास संसाधन व अधिकार हों तो वे समाज के सबसे वंचित लोगों की मदद कर सकते हैं :** इस अध्ययन के कई उदाहरण बताते हैं कि किस तरह ग्रामसभा ने सबसे वंचित वन निवासियों की मदद की। वन अधिकारों से प्राप्त सामूहिक संसाधनों को पैदा करके इनकी मदद की गई है। जैसे महिलाएं, बच्चे,भूमिहीन परिवार, पशुपालक, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की।
8. **जैव विवधिता और कृषि जैविक विविधता की रक्षा व संरक्षण की दीर्घकालीन रणनीति संकट के समय समुदायों को फिर से खड़ा होने में मदद करती है :** कोविड-19 के दौरान जैव विविधता व कृषि आश्रित जैविक विवधिता की रक्षा व संरक्षण के माध्यम से नवाचार जैसे देसी सब्जियां व देसी बीज मेला को बढ़ावा देना, यह स्थानीय व्यवस्था बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो टिकाऊपन व मौसम को लचीला बनाने में मददगार है। इससे महामारी के संकट के समय उससे निपटने में मदद मिलती है।
9. **वन अधिकार कानून और मनरेगा की ओर आगे बढ़ना, व्यक्तिगत वन अधिकार और सामुदायिक वन अधिकार से रोजगार सृजन करने से आदिवासी क्षेत्रों में प्रभावी रणनीति के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिल सकती है :** कोविड-19 के संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों और स्थानीय समुदायों के सामने रोजगार छिनने की एक बड़ी समस्या उभरकर सामने आई है। भूमि और सामुदायिक वन तक पहुंच से ग्राम सभा ने समुदाय के सदस्यों व प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन किया। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर संकट के दौरान समुदाय की सामूहिक काम करने की अच्छी पारंपरिक व्यवस्था को भी पुनर्जीवित किया।

निष्कर्ष

भारत की बड़ी आबादी, जो वन और पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है, के पास सुरक्षित अधिकार नहीं है। और न ही उनकी पहुंच वन और पारिस्थितिकी तंत्र तक है। इसलिए वे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, और पारिस्थितिकी संकट में हैं, नतीजतन, वे पहले से ही असुरक्षित और वंचित हैं। कोविड-19 के दौरान उनकी अनिश्चितता व समस्या और बढ़ गई। भारत (5 उत्तर- पूर्व के राज्य व जम्मू कश्मीर को छोड़कर) में कम से कम संभावित वन क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन का अधिकारों की मान्यता लगभग 8 करोड़ 56 लाख एकड़ (34.6 हेक्टयेर) पर दी जा सकती है। अनुमान के अनुसार वन अधिकार कानून के अंतर्गत 170,000 गांव के 20 करोड़ आदिवासी व अन्य परंपरागत वन निवासी हैं, जिन्हें ये अधिकार दिए जा सकते हैं। पर वर्ष 2016 तक, संभावित वन क्षेत्र के केवल 3 प्रतिशत को सामुदायिक वन अधिकार दिए जा सके हैं।

इस समय, विशेष तौर पर विकास की गलत नीतियों और बीमार सोच के चलते प्राकृतिक पर्यावासों में बड़े पैमाने पर दखल और इसी की तरह, वन, वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण कानून व नीतियों के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर संकट व गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। कई वन्य जीवों की प्रजातियां खतरे में हैं। जलवायु बदलाव ने इसे और बदतर बना दिया। इस सबको ध्यान में रखते हुए सीख यही है कि लघु व दीर्घकालीन उपाय करें, जिससे स्थानीय स्वशासन और सशक्तिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़े और यह प्रक्रिया में उन तक पहुंचे जो अब तक इससे दूर हैं।

इसे हासिल करने के लिए कुछ तात्कालिक कदम उठाना होगा :

वन अधिकार कानून (एफ.आर.ए.) और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनयम 1996 पेसा कानून के क्रियान्वयन को एक मुहिम की तरह करना सुनिश्चित हो, जिससे स्थानीय स्वशासन संस्थान पूर्ण रूप से सशक्त हो। यह भी सुनिश्चित हो कि ग्रामसभा, क्षेत्र, मोहल्ला सभा और अन्य स्थानीय संस्थान निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हो, जिनका जीवन और संसाधन प्रभावित होंगे। यह भी सुनिश्चित हो कि स्थानीय संस्थान जो भी निर्णय लें, उस निर्णय प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से हाशिये के वर्ग जैसे महिलाएं, भूमिहीन,दलित, घुमंतू समुदाय और आदिवासी इत्यादि की भागीदारी हो।

वन भूमि और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के परिवर्तन से पहले इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। यह भी सुनिश्चित हो कि स्थानीय ग्राम सभा और अन्य. संस्थानों से पूरी निर्णय प्रक्रिया के अनुसार कानूनी स्वीकृति ली जाए और वन अधिकार कानून व पेसा कानून के मुताबिक पूर्व सूचना देकर सहमति प्राप्त की जाए, तब आगे की कार्रवाई हो। यह भी सुनिश्चत हो कि निर्णय प्रक्रिया में हाशिये के वर्ग की सहमति हो। विशेषकर, महिला, भूमिहीन, दलित, घुमंतू समुदाय और आदिवासी आदि की अर्थपूर्ण सहमति हो और उनकी बात सुनी जाए।

निष्कर्ष

यह सुनिश्चित हो कि ऐसे संस्थान क्षमतावर्धन करें, जिससे संसाधनों का सृजन हो, आर्थिक संसाधन, स्वतंत्र रूप से योजना बनाना (स्थानीय व पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल कर) बजट बनाना, स्थानीय निधि का रखरखाव, और बैंकों से लेन-देन इत्यादि। यह सब वन अधिकार कानून और पेसा कानून में पहले से दिया गया है। यह सब बिना किसी नौकरशाही के हस्तक्षेप के लोग कर सकें। और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया उसी स्थान पर की जा सके। यह भी सुनिश्चित करना कि उपलब्ध सरकारी राशि, जो केम्पा या मनरेगा, टीएसपी के तहत उपलब्ध है, उसे वन विभाग को स्थानांतरित करने की बजाय ग्रामसभा को देना चाहिए, जैसा कि वन अधिकार कानून व पेसा कानून में निर्धारित है।

स्थानीय समुदायों की सभी संभव मदद की जानी चाहिए जिससे शासन, टिकाऊपन, प्रबंध, पुनर्जनन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हो सकें, इसमें समुदाय संरक्षण क्षेत्र भी शामिल हैं, को मदद दी जानी चाहिए। वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन उसे सी.सी.ए की तरह कानूनी समर्थन प्रदान करेगा। पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तटीय, समुद्री, जलभूमि, चरागाह, रेगिस्तान और पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र आदि के लिए भी वन अधिकार कानून और पेसा कानून की तरह कानून की जरूरत है।

संक्षिप्त नाम व शब्दावली

प्रतिपूरक वनीकरण (CA) - जो भूमि गैर वन गतिविधियों के लिए परिवर्तित की गई है, और वहां जंगल नष्ट हो गया है, वहां क्षतिपूर्ति वनीकरण की प्रक्रिया और उससे जुड़ी पुनरूज्ञीवित वन की प्रक्रिया हो। वन अधिकार कानून के निर्धारित मानदंडों के अनुसार वन विभाग को पहले और स्वतंत्र ढंग से, ग्राम सभा से पूर्व सूचना देकर वनीकरण के लिए सहमति प्राप्त करनी होगी। वन अधिकार कानून के तहत् ग्रामसभा को सामुदायिक वन और संसाधनों का स्वशासन करने का अधिकार है।

जिला स्तर समिति (DLC) - यह समिति वन अधिकार दावों के अंतिम अनुमोदन और अभिलेख दर्ज करने को सुनिश्चित करना है।

किसान उत्पादक संगठन (FPO) - यह किसानों द्वारा बनाई कानूनी इकाई है। कंपनी या सहकारी समिति है, जो सभी किसानों की बेहतर आय के लिए और उत्पादकों के लिए खरीदने-बेचने (मार्केटिंग) काम करती है।

ग्राम सभा का संघ : यह राजनैतिक व आर्थिक संगठन है, जिसमें ग्राम सभाएं एक साथ आकर , अपने हितों के लिए सामूहिक काम करती हैं।

वन विभाग (FD) - यह सरकार की शाखा या विभाग है, जो वन प्रशासन के लिए काम करता है। वन विभाग, ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में बना, और भारतीय वनों पर नियंत्रण के लिए राज्य ने अभी तक जारी है।

वन अधिकार समिति (FRC) - यह ग्राम सभा की समिति है, जो वन अधिकारों के दावों की प्रक्रिया को सुगम बनाने का काम करती है।

वन ग्राम (FV) यह गांव ऐतिहासिक रूप से वन विभाग के नियंत्रण में हैं या पुराना निवास है, असुरक्षित हैं, वनों में ऐसे गांव दर्ज हैं, अधिसूचित हैं या नहीं भी हैं। यह गांव राजस्व गांव के अंतर्गत नहीं हैं। और यहां बहुत ही कम विकास हुआ है व कानूनी अधिकार नहीं मिले हैं।

व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) - यह अधिकार आदिवासी व वन निवासियों के लिए वन भूमि पर रहने (घर) और खेती के लिए शामिल किया गया है, यह वन अधिकार कानून में है।

संयुक्त वन प्रबंधन समिति (JEMCs) - इसे वन विभाग और ग्राम सभा के सदस्य मिलकर बनाते हैं, ज्यादातर इसमें अधिकारों का असंतुलन रहता है, निर्णय प्रक्रिया व लाभ में वन विभाग का प्रभुत्व रहता है, समुदाय की भूमिका दिखाने के लिए होती है।

आदिवासी बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति (LAMPS) - यह शासकीय योजना समर्थित संगठन है, जो आर्थिक मदद करता है, आदिवासी समुदाय अपने उत्पाद की खरीद, बिक्री, ऋण लेने और मार्केटिंग कर सकता है, कृषि सहकारी समिति के माध्यम से यह काम किया जाता है।

संक्षिप्त नाम व शब्दावली

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) - यह कानून 2005 में बना, जो ग्रामीण निवासियों को निश्चित दिन काम के अधिकार की गारंटी देता है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) यह केन्द्र सरकार की प्रशासनिक ढांचे की शाखा है जो भारत में पर्यावरणीय व वन नीतियों व कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है, जिसमें योजना, बढावा देना, संयोजन और निरीक्षण आदि काम शामिल हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) - यह मंत्रालय सभी विकास नीतियों, योजना और कार्यक्रमों का संयोजन करता है, जो अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण मंत्रालय के विकास के लिए बनाई जाती हैं, और यह विभाग वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी भी है।

लघु वनोपज (MFP) और गैर काष्ट वनोपज (NTFP) - इसमें वे सभी गैर काष्ट वन उत्पाद शामिल हैं जिन पौधों से नकद आय होती है और जो समुदाय के अस्तित्व के लिए हैं, वे सभी इसमें शामिल हैं। खंड 3 (ग) वनाधिकार मान्यता देता है- लघु वनोपज पर मालिकाना हक, संग्रह के लिए पहुंच, इस्तेमाल, और बेचने की मान्यता देता है, जो वे पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं गांव की सीमा में या गांव की सीमा के बाहर।

निस्तार अधिकार- समुदाय का अधिकार है वन तक पहुंच और उसे इस्तेमाल करने का, जिसे प्रिंसली स्टेट के पहले, जमींदारी या ऐसी ही मध्यस्थ शासन प्रणाली में मान्यता मिली है। निस्तारी अधिकार कई राज्यों के सरकारी दस्तावेजों और रिपोर्ट में पाया गया है।

अन्य परंपरागत वन निवासी (OTFDs) - ऐसे वन निवासी और समुदाय जो वहां निवास करता है और जीविका की जरूरतों के लिए पीढियों से वन पर निर्भर है।

पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार), 1996 (PESA) पेसा कानून वन शासन व वन संसाधनों पर नियंत्रण, प्रबंधन को स्थानीय आदिवासी समुदाय के हाथ में सौंपता है। पेसा कंगाली, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण और आदिवासियों के बीच बाहरी पलायन को कम करने की सोच है। इसे प्राकृतिक संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण व प्रबंधन के माध्यम से किया जा सकता है और इससे उनकी आजीविका और जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। इससे साथ ही आदिवासी समुदाय के भूमि व वन संसाधनों को मान्यता देना, जिससे उसका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक है, वह उनकी पहचान हैं।

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (PVTGs) - सरकार ने आदिवासी समुदायों का वर्गीकरण किया है, जो सुव्यवस्थित रूप से इस हद तक बाहर हैं कि उनका बहुत कम विकास होने के संकेत हैं।

संक्षिप्त नाम व शब्दावली

संरक्षित क्षेत्र (PAs) - वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार संरक्षण के उद्देश्य सरकार ने सीमांकन किया है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षित रिजर्व, समुदाय संरक्षित। वन अधिकार कानून (एफ.आर.ए.) में वन भूमि की परिभाषा में संरक्षित क्षेत्र भी शामिल है, और आदिवासी व वन निवासियों को संरक्षित क्षेत्र में मान्यता है। खंड (5) वन अधिकार कानून कहता है कि ग्राम सभा को वन्य जीव, वन और जैव विविधता की रक्षा करने का अधिकार है। उनका कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि निकटवर्ती आवाही क्षेत्र में जलस्रोत और अन्य पारिस्थितिकी संवदेनशील क्षेत्र की समुचित रक्षा हो।

अभिलेख का अधिकार (RoR) - यह वन अधिकार का अंतिम कदम है, जब अधिकार के अभिलेख की प्रविष्टि सरकारी दस्तावेज में होती है, सरकार के वन विभाग और राजस्व विभाग में होती है।

आरक्षित वन (RF) और संरक्षित वन (PA) - भारतीय वन कानून 1927 में परिभाषित हैं। इसमें अलग-अलग स्तर के संरक्षण का उल्लेख है, जिसे राज्य वनों पर लागू करता है।

उप खंड स्तरीय समिति (SDLC) - ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प पत्र की परीक्षा करेगी और जिला स्तरीय समिति को अग्रेषित करेगी।

www.vikalpsangam.org

यह पत्रिका, कम्युनिटी फारेस्ट लर्निंग एंड एडवोकेसी (सी.एफ.आर.-एल.ए.) और विकल्प संगम का संयुक्त प्रयास है। यह दस्तावेज वसुंधरा (https://www.vasundharaodisha.org/) और कल्पवृक्ष (https://kalpavriksh.org/) के सहयोग के बिना संभव नहीं था।

किसी भी जिज्ञासा के लिए:
अदिती पिन्टो : vandhikarmedia@gmail.com
जूही पांडे: studiojuhi@gmail.com

समुदाय की कहानियों का लेखन:
केशव गुरनूले, सृष्टि, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
ललित भंडारकर, दिलीप घोडे, VNCS से और नारायण सालामे CFRMC, गोंदिया, महाराष्ट्र
तृप्ति मेहता, आर्च वाहिनी, नर्मदा, महाराष्ट्र
चेतराम पवार, बरीपदा गांव, धुले, महाराष्ट्र
रमेश भाटी, इशा मेरन मुतवा, रीतेश पोकर और भारती नानजार- सहजीवन, कच्छ, गुजरात
प्रतिभा शिंदे, लोक समन्वय प्रतिष्ठान और छत्रसेन मोतीराम, नंदुरबार, महाराष्ट्र
सुमित्रा घोष, स्वरूप साहा, सुंदर सिंह रावा और लाल सिंह भुजेल- उत्तर बंग बन, जन श्रमजीवी मंच, अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल
बलवंत रहांगदाले, ग्रामदूत कार्यक्रम, डिंडौरी, राहुल श्रीवास्तव, भूमि अधिकार आंदोलन, मंडला, मध्यप्रदेश
डा. सी मादेगोड़ा, जिला बुदाकट्ट गिरिजन अभिवृद्धि संघ, चामराजनगर, कर्नाटक
हेमंत कुमार साहू और नीलमणि महापात्रा, वसुंधरा, नवागढ़, ओडिशा

परिचय और मुख्य सीखने योग्य बातें और सिफारिश का लेखन
नीमा पाठक ब्रूम और तुसार दास

कानूनी जानकारी
(पावर टू पीपल / पावर से ग्राम सभा- एक कानूनी संसाधन केंद्र दस्तावेज़) पूजा और संघमित्रा दुबे द्वारा

सामुदायिक पत्राचार
आथिरा कृष्णन, अदिती पिन्टो , अर्चना सोरेंग, संघमित्रा दुबे और सर्वेश चतुर्वेदी

लेखन, संकलन और विकासात्मक संपादन
अदिती पिन्टो

कॉपी संपादन, प्रूफरीडिंग और डिज़ाइन प्रतिक्रिया
अदिती पिन्टो और सुष्मिता

प्रवाह और लेआउट
जूही पांडे

डिज़ाइन
नवीद दादन

हिंदी अनुवाद
बाबा मायाराम

इस प्रकाशन को हेनरिक बोएल स्टिफ्टंग द्वारा समर्थित किया गया है।

उद्धरण: विकल्प संगम और सी.एफ.आर.-एल.ए, *सामुदायिक वन अधिकार और महामारीः ग्राम सभा ने दिखाई राह*, *'साधारण' लोगों के असाधारण कार्य: महामारी एवं लॉकडाउन से परे श्रृंखला का खंड-2 और कोविड 19 एवं वन अधिकार का पाँचवाँ बुलेटिन*, विकल्प संगम कोर ग्रुप, पुणे, अक्टूबर 2020.

यह एक कॉपीलेफ्ट प्रकाशन है। यह गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से पुन: पेश किया जा सकता है, बेहतर हो कि श्रेय एवं उद्धरण के साथ, और कोई भी पुनर्प्रकाशन समान शर्तों के साथ और बिना किसी कॉपीराइट के होना चाहिए।।

यह दस्तावेज़ सी.एफ.आर.-एल.ए और विकल्प संगम द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में उभरा है, जिसमें ग्राम सभाओं द्वारा अधिकारों, कार्यकाल सुरक्षा और सामुदायिक वन शासन की मान्यता के महत्व को उजागर करने, साथ ही साथ कोविड 19 और महामारी के बाद के परिदृश्य में लचीला समुदायों का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया है।

'साधारण' लोगों के असाधारण कार्य : महामारी एवं लॉकडाउन से परे

यह विकल्प संगम कोर ग्रुप द्वारा लाए जा रहे दस्तावेजों की एक श्रृंखला है, जो कोविड 19 के सामने सामुदायिक लचीलापन और सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की कहानियों को दर्शाती है। संपूर्ण भारत में, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने खाद्य असुरक्षा, आजीविका की हानि, बीमारियों, और अव्यवस्था के परिणामों का सामना किया, कई समुदाय संकटों पर टिक नहीं पाए। दूसरी तरफ कई समुदाय संकटों पर टिकने में सफल रहे हैं क्योंकि उन्होंने खाद्य, स्वास्थ्य, आजीविका, शासन और अन्य पहलुओं में सापेक्ष आत्मनिर्भरता की रणनीतियों का निर्माण और निरंतरता की है।

श्रृंखला में अब तक के संस्करणों:

'साधारण' लोगों के असाधारण कार्य : महामारी एवं लॉकडाउन से परे, खंड 1, मई 2020
(अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, स्पेनिश भाषा में उपलब्ध है)
http://vikalpsangam.org/article/extraordinary-work-of-ordinary-people-in-multi-language-translation/#.X6oq1i2B1E4

ऊपर का ग्राफिक उपन्यास संस्करण:
http://vikalpsangam.org/article/extraordinary-work-of-ordinary-people-graphic-novel-version/

सामुदायिक वन अधिकार और महामारीः ग्राम सभा ने दिखाई राह, 'साधारण' लोगों के असाधारण कार्य : महामारी एवं लॉकडाउन से परे श्रृंखला का खंड -2 और कोविड 19 एवं वन अधिकार का पाँचवाँ बुलेटिन', अक्टूबर 2020 (इसके कई भाषा संस्करण भी साइट पर डाले जाएंगे)
http://vikalpsangam.org/article/community-forest-rights-the-pandemic-gram-sabhas-lead-the-way/#.X6osVS2B1E4

कोविड 19 और वन अधिकार के बुलेटिन

2011 में कम्युनिटी फारेस्ट लर्निंग एंड एडवोकेसी (सी.एफ.आर.-एल.ए.) प्रक्रिया वन अधिकार अधिनियम 2006 के सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) प्रावधानों से संबंधित सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए शुरू की गई थी। कोविड 19 और वन अधिकार बुलेटिन श्रृंखला की परिकल्पना आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने में संकट के प्रकाश में की गई थी। बुलेटिन महामारी के दौरान वन निवास समुदायों की आवाज़ों को उजागर करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें :
http://www.cfrla.org.in/resource.aspx और www.fra.org.in

विकल्प संगम मानव और पारिस्थितिक कल्याण के लिए न्यायसंगत, समतापूर्ण और टिकाऊ रास्ते पर काम करने वाले आंदोलनों, समूहों और व्यक्तियों को एक साथ लाने का एक मंच है। यह विकास के वर्तमान मॉडल और इसकी असमानता और अन्याय की संरचनाओं को खारिज करता है, और व्यवहार एवं दृष्टिकोण में विकल्पों की खोज करता है। देश भर में लगभग 60 आंदोलन और संगठन इसके कोर ग्रुप के सदस्य हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें :
http://www.vikalpsangam.org/about/

- ACCORD (Tamil Nadu)
- Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (national)
- Alternative Law Forum (Bengaluru)
- Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (Bengaluru)
- BHASHA (Gujarat)
- Bhoomi College (Bengaluru)
- Blue Ribbon Movement (Mumbai)
- Centre for Education and Documentation (Mumbai)
- Centre for Environment Education (Gujarat)
- Centre for Equity Studies (Delhi)
- CGNetSwara (Chhattisgarh)
- Chalakudypuzha Samrakshana Samithi / River Research Centre (Kerala)
- ComMutiny: The Youth Collective (Delhi)
- Deccan Development Society (Telangana)
- Deer Park (Himachal Pradesh)
- Development Alternatives (Delhi)
- Dharamitra (Maharashtra)
- Ekta Parishad (several states)
- Ektha (Chennai)
- EQUATIONS (Bengaluru)
- Gene Campaign (Delhi)
- Greenpeace India (Bengaluru)
- Health Swaraaj Samvaad (national)
- Ideosync (Delhi)
- Jagori Rural (Himachal Pradesh)
- Kalpavriksh (Maharashtra)
- Knowledge in Civil Society (national)
- Kriti Team (Delhi)
- Ladakh Arts and Media Organisation (Ladakh)
- Local Futures (Ladakh)
- Maati (Uttarakhand)
- Mahila Kisan Adhikar Manch (national)
- Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (Rajasthan)
- National Alliance of Peoples' Movements (national)
- Nirangal (Tamil Nadu)
- North East Slow Food and Agrobiodiversity Society (Meghalaya)
- Peoples' Science Institute (Uttarakhand)
- Revitalising Rainfed Agriculture Network (national)
- reStore (Chennai)
- Sahjeevan (Kachchh)
- Sambhaavnaa (Himachal Pradesh)
- Samvedana (Maharashtra)
- Sangama (Bengaluru)
- Sangat (Delhi)
- School for Democracy (Rajasthan)
- School for Rural Development and Environment (Kashmir)
- Shikshantar (Rajasthan)
- Snow Leopard Conservancy India Trust (Ladakh)
- Social Entrepreneurship Association (Tamil Nadu)
- SOPPECOM (Maharashtra)
- South Asian Dialogue on Ecological Democracy (Delhi)
- Students' Environmental and Cultural Movement of Ladakh (Ladakh)
- Thanal (Kerala)
- Timbaktu Collective (Andhra Pradesh)
- Titli Trust (Uttarakhand)
- Tribal Health Initiative (Tamil Nadu)
- URMUL (Rajasthan)
- Vrikshamitra (Maharashtra)
- Watershed Support Services and Activities Network (Andhra Pradesh/Telangana)